16

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि – कारण और प्रभाव' विषय पर समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

सोलहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ **अग्रहायण**, 1943 (**शक**)

सोलहवां प्रतिवेदन

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि – कारण और प्रभाव' विषय पर समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

07.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
07.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ **अग्रहायण**, 1943 (**शक**)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना..... (iv)

प्राक्कथन..... (v)

अध्याय- एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय- दो	टिप्पणियां /सिफारिशें, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	13
अध्याय- तीन	टिप्पणियां /सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती...	52
अध्याय- चार	टिप्पणियां /सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	58
अध्याय –पांच	टिप्पणियां /सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं	59

परिशिष्ट

(I) समिति की 01.12.2021 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश..... 61

(II) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण..... 63

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की संरचना:-

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय, सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
4. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
5. श्री जी.एस. बसवराज
6. सुश्री देबाश्री चौधरी
7. श्री सन्नी देओल
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री जी. सेल्वम
10. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
11. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा
12. श्री भगवंत मान
13. श्री खगेन मुर्मु
14. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
15. श्री सुब्रत पाठक
16. श्रीमती हिमाद्री सिंह
17. श्रीमती कविता सिंह
18. श्री नंदीगम सुरेश
19. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
20. श्री राजमोहन उन्नीथन
21. श्री वी. वैथिलिंगम

<u>राज्य सभा</u>

22. श्री सतीश चंद्र दुबे
23. श्रीमती रूपा गांगुली
24. श्री के.जी. केन्ये
25. डॉ. फौजिया खान
26. श्री हिशे लाचुंग्पा
27. श्री राजमणि पटेल
28. श्री सकलदीप राजभर
29. डॉ. अंबुमणि रामादास
30. श्री रामजी
31. श्री जी.के. वसन

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

1.	श्री पवन कुमार	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3.	श्री जी. गुइटे	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि – कारण और प्रभाव' विषय पर समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. ग्यारहवां प्रतिवेदन 19 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया । सरकार ने 21 अक्तूबर , 2021 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण दर्शाने वाले उत्तर को भेजे ।

3. समिति ने 01 दिसंबर , 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट II** में दिया गया है ।

5. संदर्भ सुविधा हेतु, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;

01 दिसंबर, 2021
10 अग्रहायण, 1943 (शक)

सुदीप बंदोपाध्याय
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय(उपभोक्ता मामले विभाग)से संबंधित 'आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि – कारण और प्रभाव' विषय पर समिति (17 वीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 ग्यारहवां प्रतिवेदन 19 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में 21 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं । प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 21 सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं और इनका श्रेणीकरण निम्नवत् रूप से किया गया है-

(एक) सिफारिशेंटिप्पणियाँ/, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
पैरा सं. :1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

(दो) सिफारिशेंटिप्पणियाँ/, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती
पैरा सं. : 2, 6, 7, 10

(तीन) सिफारिशेंटिप्पणियाँ/, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
पैरा सं : .शून्य

(चार) सिफारिशेंटिप्पणियाँ/, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं
पैरा सं. : 8

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई उत्तर और उन सिफारिशों, जिनका सरकार द्वारा अंतरिम उत्तर दिया गया है, के संबंध में उत्तर यथाशीघ्र समिति को भेजे जाएं। समिति इस बात पर जोर देती है कि सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यदि किसी भी कारण से सरकार के लिए सिफारिशों को अक्षरश: लागू करना संभव नहीं है, तो इस मामले को समय पर गैर-कार्यान्वयन के कारणों के साथ समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

1.4 अब समिति अपनी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उत्तरों पर विचार करेगी।

क. 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना के लिए नई बजटोत्तर (2021-22) रणनीति प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की आवश्यकता

सिफारिश (पैरा सं. 13)

1.5 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

" उपभोक्ता मामले विभाग ने समिति को अवगत कराया कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने के लिए, सरकार ने समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें (i) घरेलू उपलब्धता और मध्यम कीमतों को विनियमित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) जैसे व्यापार और राजकोषीय नीति के उपकरणों का उचित उपयोग करना शामिल इत्यादि; (ii) जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए स्टॉक सीमाएं लगाना और राज्यों को सलाह देना; (iii) उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रावधान। इस संबंध में, समिति ने नोट किया कि टमाटर, प्याज और आलू (टीडीपी) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'ऑपरेशन ग्रीन्स' नामक एक नई योजना शुरू की गई थी। समिति का मानना है कि ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त देश में 81 घरेलू उत्पादन और टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता को बढ़ाने में मददगार होगा, जिससे उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उनकी कीमतों को स्थिर और नियंत्रित किया जा सकेगा। इसलिए, समिति चाहती है कि सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी करने के लिए ठोस कदम उठाए। सरकार योजना की प्रगति का मूल्यांकन भी कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो योजना के लिए बढ़ा हुआ वित्तीय आवंटन कर सकती है।"

1.6 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

" टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों के लिए एफपीओ, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में रुपये 500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ की गई थी। यह योजना नवंबर 2018 में पायलट आधार पर

चयनित समूहों में टॉप फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। माध्यमिक प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ, इस योजना में प्राथमिक प्रसंस्करण/भंडारण सुविधाओं के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचे में निवेश की परिकल्पना की गई है। इस उत्पादन क्लस्टर में किसानों को उत्पादन का प्रबंधन करने, प्रसंस्करण योग्य या दोहरे उपयोग वाली किस्मों को अपनाने, कटाई के बाद की गतिविधि, मूल्य वर्धन और टॉप उत्पाद के विपणन में संलग्न करने के लिए एफपीओ में संगठित किया जा रहा है।

स्कीम का सार

स्कीम की कार्यनीति: इस योजना में मूल्य स्थिरीकरण उपायों (अल्पावधि के लिए) और मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं (दीर्घावधि के लिए) की द्वि-आयामी कार्यनीति है।

(i) **अल्पावधि: मूल्य स्थिरीकरण के उपाय (परिवहन और भंडारण - 50% सब्सिडी)** - फसल के समय की स्थिति के दौरान, उत्पादक क्षेत्र से खपत केंद्रों को अधिशेष उत्पादन की निकासी और परिवहन और भंडारण पर 50% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है।

ओजी-टॉप से टोटल: ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत 11.06.2020 को दिनांक 10.06.2020 को मंत्री, एफपीआई द्वारा एसएफसी की सिफारिश के आधार पर, कोविड महामारी के बीच आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण माननीय वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में अल्पकालिक उपायों का दायरा टॉप से टोटल (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ा दिया गया था।

- किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों और सब्जियों की आवाजाही के लिए 12.10.2020 को 50% माल ढुलाई सब्सिडी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। तत्पश्चात, मंत्रालय ने भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली किसान रेल सेवा के माध्यम से किसी भी फल और सब्जी पर परिवहन सब्सिडी की अनुमति दी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों से अधिसूचित फलों और सब्जियों की आवाजाही के लिए 50% हवाई माल भाड़ा सब्सिडी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश 02.11.2020 को जारी किए गए। इसके बाद, मंत्रालय ने एनईआर और हिमालयी राज्यों से हवाई मार्ग से किसी भी फल और सब्जी पर परिवहन सब्सिडी की अनुमति दी।

- जम्मू और कश्मीर से सेब के परिवहन और/या भंडारण के लिए पात्र संस्थाओं को नैफेड के माध्यम से 50% सब्सिडी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश 27.11.2020 को जारी किए गए।

(ii) दीर्घावधिः मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं- मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में टॉप फसलों के लिए चिन्हित समूहों में परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। उत्पादन समूहों में किसानों को उत्पादन, कटाई के बाद की गतिविधियों, मूल्य संवर्धन और शीर्ष उत्पाद के विपणन के प्रबंधन के लिए एफपीओ में संगठित किया जा रहा है। एससी/एसटी/एफपीओ के मामले में पात्र परियोजना लागत का औसतन 50%/70 फीसदी की दर से सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब तक छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कार्यान्वयन चरण में हैं और उनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

<u>ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत स्वीकृत एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं</u>

(रु. करोड़ में)

क्रं. सं.	पीआईए का नाम	क्लस्टर का स्थान	फसल का नाम	अनुमोदन की तिथि	कुल परियोजना लागत	सहायता अनुदान
1	मेसर्स आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करम सोसायटी	चित्तोर, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	टमाटर	20.03.2019	109.99	48.82
2	मेसर्स नेडस्पाइस डिहाइड्रेशन इंडिया एलएलपी	भावनगर, गुजरात	प्याज	20.03.2019	63.64	25.22
3	मेसर्स खेमानंद दूध और कृषि उत्पाद कंपनी लिमिटेड	अहमदाबाद, महाराष्ट्र	प्याज	08.01.2020	31.33	14.60
4	मेसर्स बांसकांठा जिला सहकारिता उत्पाद यूनियन लिमिटेड	बांसकांठा, गुजरात	आलू	08.01.2020	103.87	30.56

5	मैसर्स वांगी फूड्स	खेड़ा, गुजरात	टमाटर	05.03.2020	18.50	4.51
6	मेसर्स स्मार्ट एग्री एग्रोविले	नासिक, महाराष्ट्र	प्याज	03.02.2021	35.97	13.11
कुल					**363.30**	**136.82**

बजट घोषणा 2021-22: बजट घोषणा 2021-22 के अनुसरण में, कृषि और संबद्ध उत्पाद और उनके निर्यात में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत दीर्घकालिक कार्यनीति अर्थात् वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का दायरा **टॉप से ट्वेंटी-टू-पेरिशेबल उत्पादों** तक बढ़ाया जा रहा है। माननीय मंत्री, एफपीआई के अनुमोदन से टॉप फसलों के अतिरिक्त 19 शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की सूची इस प्रकार है:-

फल (10): आम, केला, सेब, अनानास, कीनो/मैंडरिन/संतरा, अंगूर, आँवला/आमला, अनार, अमरूद, लीची।

सब्जियाँ (8): मटर, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, करेला, ओकरा, लहसुन, अदरक।

मरीन (1): श्रिम्प

बजट घोषणा 2021-22 के क्रियान्वयन की कार्यनीति इस प्रकार है:-

i. बागवानी प्रभाग, कृषि मंत्रालय के उत्पादन डेटा और संबंधित राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा सत्यापन के आधार पर शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए उत्पादन समूहों की पहचान की जाएगी।
ii. मूल्य श्रृंखला में कमियों की पहचान चयनित उत्पादन क्लस्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप असेसमेंट स्टडीज आयोजित करके की जाएगी।
iii. इसके समानांतर, योजना दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
iv. मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप से फसल के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों के लिए बिक्री बढ़ाने के लिए 22 खराब होने वाली मूल्य श्रृंखला में उन अंतराल को भरने के लिए सीमित होगा। अन्य संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनके संस्थानों आदि से भी मूल्य श्रृंखला में उन अंतरालों को भरने का अनुरोध किया जाएगा।

आरंभ से व्यय का ब्यौरा

			₹ करोड़ में
वर्ष	**बीई**	**आरई**	**एई**
2018-19	0	200	5.50
2019-20	200	32.48	2.84
2020-21	127.5	38.21	38.21
2021-22	73.4	-	39.80
अबतक कुल व्यय			**86.35**

"

1.7 समिति नोट करती है कि देश में टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) के एकीकृत विकास के लिए 2018-19 में शुरू की गई 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना के लिए कुल रु. 86.35 करोड़ खर्च किए गए हैं। हाल के वर्षों में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को देखते हुए समिति अपनी सिफारिश दोहराना चाहेगी कि राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में चलायी जा रही 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी जारी रखने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए और प्राप्त उपलब्धियों और आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए योजना की प्रगति का मूल्यांकन करे। समिति यह भी नोट करती है कि बजट घोषणा 2021-22 के अनुसरण में कृषि और संबद्ध उत्पादों और उनके निर्यात में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के क्रम में 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक रणनीति अर्थात वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का दायरा टॉप से बढ़ाकर 22 शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों तक किया जा रहा है। समिति बजट घोषणा 2021-22 के कार्यान्वयन की रणनीति को भी नोट करती है। समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह 22 चिन्हित शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों में बंपर पैदावार और उनके निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए उक्त रणनीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। समिति यह भी चाहती है कि सरकार कुछ अन्य देशों की कटाई के बाद की प्रथाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने और जहां भी उपयुक्त हो, भारत में उनका अनुसरण करने की दृष्टि से ऐसी प्रथाओं की व्यवहार्यता का पता लगाए। समिति आगे नोट करती है कि 'ऑपरेशन ग्रीन' योजना के संबंध में वास्तविक व्यय 2018-19 में 200 करोड़ रुपये के ब.प्रा. की तुलना में 5.50 करोड़, 2019-20 में 200 करोड़ रुपये के ब.प्रा. की

तुलना में 2.84 करोड़ रुपये, 2020-21 में 127.5 करोड़ रुपये के ब.प्रा. की तुलना में और 38.21 करोड़ रुपये, 2021-22 में 73.4 करोड़ रुपये के ब.प्रा. की तुलना में 39.80 करोड़ रुपये है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना पर किए गए बहुत कम वास्तविक व्यय के आंकड़े सरकार द्वारा जोरदार प्रयास करने की आवश्यकता पर बल देते हैं और समिति इस पहलू पर भी 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बेहतर उपलब्धियों की उम्मीद करती है।

ख. मूल्य स्थिरीकरण कोष

(सिफारिश पैरा सं. 15)

1.8 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

" समिति नोट करती है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना वर्ष 2014-15 में की गई थी, जो राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को उनकी कार्यशील पूंजी और अन्य खर्चों में सहायता का समर्थन करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता है जो वे खरीद और निर्धारित/निर्धारित वस्तुओं के लिए वितरण हस्तक्षेप पर खर्च कर सकते हैं। पीएसएफ का प्रबंधन केंद्रीय रूप से मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) द्वारा किया जाता है, जो राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के सभी प्रस्तावों को मंजूरी देगी। समिति चाहती है कि पीएसएफएमसी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए और कीमतों में वृद्धि और कमी को रोकने के लिए प्याज, आलू और दालों जैसी वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को कम करने की दृष्टि से धनराशि जारी की जानी चाहिए।"

1.9 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

" मूल्य स्थिरीकरण के लिए केंद्रीय संचित निधि पीएसएफएमसी को प्रस्तुत राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने के प्रस्ताव के आधार पर मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार हस्तक्षेप के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। राज्य स्तरीय कॉर्पस भारत सरकार और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 के अनुपात में, बनाया गया है। केंद्र का हिस्सा 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है।

अब तक उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य स्तरीय पीएसएफ की स्थापना के लिए छह राज्य सरकारों को धनराशि जारी की है। रिलीज का विवरण इस प्रकार है:

राज्य	कुल आवश्यक पीएसएफ निधि **(₹** करोड़**)**	राज्य का हिस्सा **(₹** करोड़**)**	जारी किया गया केंद्र का हिस्सा **(₹** करोड़**)**		
			पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल
आंध्र प्रदेश	100	50	25 (2015-16)	25 (2017-18)	50
तेलंगाना	18.31	9.15	4.575 (2015-16)	4.575 (2015-16)	9.15
पश्चिम बंगाल	10	5	2.50 (2015-16)	-	2.50
ओड़िशा	100	50	25 (2018-19)	-	25
तमिल नाडू	10	5	2.50 (2019-20)	-	2.50
असम	200	50	75 (2019-20)	-	75
कुल रिलीज					**164.15**

विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पत्रों के माध्यम से राज्य स्तरीय पीएसएफ बनाने के लिए और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के प्रभारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्श बैठक, मूल्य निगरानी पर क्षेत्रीय सम्मेलनों जैसे बैठकों में लगातार उठा रहा है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मूल्य निगरानी पर नियमित वीसी बैठक कर रहा है।"

1.10 समिति विभाग के इस उत्तर को नोट करती है कि मूल्य स्थिरीकरण प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) को प्रस्तुत राज्य-स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने के प्रस्ताव के आधार पर मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार हस्तक्षेप के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए 2014-15 में स्थापित मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत मूल्य स्थिरीकरण के लिए केंद्रीय कोष उपलब्ध है और राज्य-स्तरीय कोष भारत सरकार और राज्य के बीच 50:50 के

अनुपात में और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 75 :25 के अनुपात में भागीदारी के पैटर्न से बनाया गया है। निधि में केंद्र का हिस्सा 2 समान किश्तों में जारी किया जाता है। समिति आगे नोट करती है कि उपभोक्ता मामला विभाग ने राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना के लिए 6 राज्य सरकारों अर्थात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और असम को कुल 164.35 करोड़ रु. जारी किए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि केवल 2 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ही पूरी दो किश्तें मिली हैं, जबकि शेष 4 राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और असम को अभी तक केंद्र के हिस्से की दूसरी किश्त नहीं मिली है। इसलिए समिति सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कदम उठाने का आग्रह करती है कि पीएसएफ निधि के केंद्र के हिस्से की दूसरी किश्त उपरोक्त 4 राज्यों को बिना किसी देरी के जारी की जाए। वह यह भी अनुशंसा करती हैं कि सरकार देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए शेष सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य-स्तरीय पीएसएफ के निर्माण के लिए एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बात करे।

ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार एवं निगरानी

सिफारिश (पैरा सं. 16)

1.11 समिति ने निम्नवत सिफारिश की थी:-

" समिति का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) देश में सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। जून, 1997 में, सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (टीपीडीएस) की शुरुआत की, इसके बाद दिसंबर, 2000 में 'अंत्योदय अन्न योजना' (एएवाई) नामक एक योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य टीपीडीएस को निर्धनों तथा निर्धन से भी निर्धन हेतु अधिक केंद्रित और लक्षित बनाना है। वर्तमान में देश भर में लगभग 2.5 करोड़ परिवार एएवाई के अंतर्गत आते हैं। 2013 में अधिनियमित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, पात्र परिवारों / लाभार्थियों में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति शामिल हैं। एएवाई परिवार, जो सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं, जबकि पीएचएच श्रेणी के अंतर्गत

आने वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न अत्यधिक सब्सिडीयुक्त चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1रुपए प्रति किग्रा रियायती कीमतों पर प्राप्त करने के हकदार हैं। समिति नोट करती है कि टीपीडीएस वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित है, जहां केंद्र सरकार ने सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन की जिम्मेदारी और आवंटन की परिचालन जिम्मेदारी संभाली है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर खाद्यान्न, एनएफएसए के तहत पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण और एफपीएस की लाइसेंसिंग और निगरानी आदि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं। समिति चाहती है कि सरकार टीपीडीएस की दक्षता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसकी मजबूत निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करे।"

1.12 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

" राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अध्याय XI के तहत टीपीडीएस की मजबूत निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र पहले से ही प्रदान किया गया है और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उचत मूल्य की दुकानों सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज पर समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने का आदेश देता है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर इस संबंध में सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है।

28. (1) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कामकाज पर आवधिक सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करेगा या करवाएगा, और इसके निष्कर्षों को प्रचारित करने और आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) यह भी प्रदान करता है कि

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कामकाज और ऐसी प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर समय-समय पर संशोधित, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर स्थानीय अधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाएं और निराश्रित

व्यक्ति या विकलांग व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व देते हुए, प्रत्येक राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी।

2. सतर्कता समितियां निम्नलिखित कार्य करेंगी, अर्थात्:-

(क) इस अधिनियम के तहत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

(ख) इस अधिनियम के प्रावधान; के किसी भी उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करें तथा

(ग) जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में, उसके द्वारा पाए गए किसी भी कदाचार या धन के दुरुपयोग के बारे में सूचित करें।

इसके अतिरिक्त, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में प्रावधान है कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करेगी। सतर्कता समितियों की बैठक प्रत्येक तिमाही में सभी स्तरों पर कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और बैठक की तारीख और आवधिकता समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और व्यापक प्रचार किया जाएगा। राज्य सरकार सतर्कता समितियों के कामकाज पर सालाना एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी।"

1.13 समिति विभाग के उत्तर को नोट करती है कि देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की मजबूत निगरानी के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अध्याय XI के अंतर्गत पहले से ही संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराया गया है, जो सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को यह अधिदेशित करता है कि वह उचित दर की दुकानों (एफपीएस) सहित टीपीडीएस के कामकाज का समय-समय पर सामाजिक ऑडिट करे और तदनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इस संबंध में सामाजिक ऑडिट करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिया जाता हो। समिति आगे नोट करती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तर पर 'सतर्कता समितियों' की स्थापना का उपबंध है, जो उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट कार्य अर्थात- (क) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन

का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करने; (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करने; और (ग) उसके द्वारा पाए गए किसी भी कदाचार या धन के दुरुपयोग के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करने जैसे कार्य करती हो। आदेश यह उपबंध भी करता है कि सतर्कता समितियों की बैठकें सभी स्तरों पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, और बैठक की तारीख और समय को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और उनका व्यापक प्रचार किया जाएगा, और आगे यह कि राज्य सरकार सतर्कता समितियों के कार्यकरण पर केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी। समिति नोट करती है कि देश में टीपीडीएस की निगरानी के लिए एनएफएसए, 2013 और टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अंतर्गत गठित सतर्कता समितियों में महत्वपूर्ण जनादेश निहित है।वह चाहती है कि सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लागू होने के बाद से प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में इन समितियों की स्थिति/कार्यप्रणाली के बारे में विवरण प्रस्तुत करे, जिसमें उन सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के ब्योरे शामिल हों जिन्होंने अब तक समितियों का गठन किया है या नहीं किया है। समिति चाहती है की उसे इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर उसे इस मामले की अद्यतन जानकारी दी जाए।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश सं. 1

2.1 समिति ने पाया कि वर्तमान में, आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की अनुसूची में शामिल 7 (सात) वस्तुएं हैं, अर्थात। (1) ड्रग; (2) उर्वरक (जैविक, अजैविक या मिश्रित); (3) खाद्य पदार्थ, जिनमें तिलहन और खाद्य तेल शामिल हैं; (4) पूरी तरह से कपास से बने हैंक यार्न; (5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; (6) कच्चा जूट और जूट से बने कपड़े; (7) (i) खाद्य फसलों, फलों और सब्जियों के बीज; (ii) मवेशियों के चारे के बीज; (iii) जूट के बीज; और (iv) कपास के बीज। समिति ने यह भी पाया है कि विभाग, जब भी आवश्यक हो, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों के परामर्श से, आवश्यक वस्तुओं की सूची में किसी वस्तु को सूचीबद्ध या असूचीबद्ध करने का निर्णय लेता है। समिति यह भी नोट करती है कि 2006 के प्रमुख संशोधनों के बाद, केवल 2009 में अनुसूची में संशोधन किया गया था, जब कपास के बीज को ईसी अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित किया गया था। समिति का मत है कि 61 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत संबंधित विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ उचित परामर्श के बाद समय-समय पर वस्तुओं को शामिल करने/हटाने की समीक्षा करने के लिए एक उचित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की सूची में और अधिक उपभोग्य वस्तुओं को शामिल करने पर विचार कर सकती है, विशेष रूप से वे जो सभी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करती हैं, और जो गांव और शहर के निवासियों के लिए उपयोगी हैं, और इन उत्पादों को सब्सिडी देती हैं। ऐसी वस्तुओं को मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी) द्वारा निगरानी की जाने वाली वस्तुओं की सूची में भी शामिल किया जा सकता है, जो बड़े पैमाने पर जरूरतमंद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

सरकार का उत्तर

2.2 सरकार प्रमुख वस्तुओं की कीमतों पर पैनी नजर रखती है और जब भी आवश्यक हो संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करने/ सूची से हटाने के लिए

वस्तुओं को अधिसूचित किया जाता है। वर्तमान में, निम्नलिखित 7 वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची में अधिसूचित किया गया है:

क्रम सं.	**वस्तु**
1	ड्रग
2	उर्वरक, जैविक अजैविक, जैविक या मिश्रित
3	'खाद्य पदार्थ'* जिनमें तिलहन और खाद्य तेल शामिल है
4	पूरी तरह से कपास से बने हैंक यार्न
5	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद
6	कच्चे जूट और जूट से बने कपड़े
7	(i) खाद्य फसलों, फलों और सब्जियों के बीज
	(ii) पशुचारे के बीज
	(iii) जूट के बीज; और
	(iv) कपास के बीज

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.7 देखें)

सिफारिश सं. 3

2.3 समिति नोट करती है कि चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर की दाल, मूंग दाल, उड़द की दाल, मसूर दाल में बिना ब्रांड वाले सामान के लिए सेवा कर (जीएसटी) और यूनिट कंटेनर में ब्रांडयुक्त और पैकबंद सामान के लिए 5% जीएसटी लगता है और वनस्पति, चाय, चीनी मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, यूएचटी (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) दूध, सोया तेल, पाम ऑयल और सूरजमुखी के तेल पर 5% की दर से जीएसटी लगता है। समिति आगे नोट करती है कि गेहूं/चावल के निर्यात पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगता

है, और यह कि पिछले 3 (तीन) वर्षों के दौरान विशेष रूप से कृषि वस्तुओं की आवाजाही और वितरण पर कोई अनावश्यक नियंत्रण/प्रतिबंध मौजूद नहीं है। समिति चाहती है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए ऐसी वस्तुओं की सस्ती कीमत सुनिश्चित करने के लिए देश में आवश्यक वस्तुओं की मुक्त आवाजाही को और सुप्रवाही बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

सरकार का उत्तर

2.4 केंद्र सरकार ने आदेश "निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से लाइसेंसिंग अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 दिनांक 29.9.2016" के माध्यम से कुछ खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और संचालन पर प्रतिबंधों को हटा दिया है। इन आदेशों में प्रावधान किया गया है कि कोई भी डीलर स्वतंत्र रूप से निर्दिष्ट खाद्य सामग्री की किसी भी मात्रा में खरीद, स्टॉक, बिक्री, परिवहन, वितरण, निपटान, अधिग्रहण, उपयोग या उपभोग कर सकता है और इसलिए अधिनियम के तहत जारी किसी भी आदेश के तहत इसके लिए परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक आदेश के तहत अन्यथा प्रावधान किया गया हो कि आदेशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार लाइसेंस, परमिट या अन्यथा, किसी भी के भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अधिग्रहण, उपयोग या खपत को विनियमित करने के प्रयोजन से किसी भी आदेश को जारी करने के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 4

2.5 समिति नोट करती है कि उत्पादक मूल्य सूचकांक इंडेक्स (पीपीआई) एक ऐसा सूचकांक है जिसे उत्पादक के दृष्टिकोण से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में औसत परिवर्तन को मापने के लिए तैयार किया गया है, या तो जब वे उत्पादन की जगह छोड़ते हैं (जिसे 'आउटपुट पीपीआई' कहा जाता है) , या जैसे ही वे उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं (जिसे 'इनपुट पीपीआई' कहा जाता है)। इसे थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में सुधार बताया जाता है, जो वर्तमान में देश में उपयोग में है, जी डब्ल्यूपीआई जैसे समग्र वस्तु आधारित सूचकांक में निहित कई गणना के पूर्वाग्रह से मुक्त है। समिति यह भी नोट करती है कि 21 अगस्त, 2014 को डॉ. बी.एन. गोल्डर, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अध्यक्षता में एक

कार्य दल गठित किया गया था, जिसने 31 अगस्त, 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। समिति आगे नोट करती है कि डब्ल्यूपीआई से पीपीआई में परिवर्तन के तकनीकी निर्णय की जांच मूल्य और जीवन यापन की श्रृंखला पर कार्यकारी समूह और तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी, और यह कि स्थानांतरण की व्यवहार्यता और इसके तौर-तरीकों के बारे में अंतिम निर्णय सचिवों की समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वे यह भी नोट करते हैं कि आधार वर्ष के संशोधन की कवायद 25 जून, 2019 को प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में डब्ल्यूपीआई के संशोधन के लिए कार्यदल की स्थापना के साथ शुरू हुई है, जिसे जून, 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन इसकी अवधि एक और वर्ष के लिए, यानी जून, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस तथ्य की सराहना करते हुए कि पीपीआई संगत आर्थिक गतिविधियों के मूल्य परिवर्तनों का अधिक सटीक स्वरूप प्रदान करेगा, और उत्पादकों द्वारा निर्धारित कीमतों की एक विश्वसनीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय तस्वीर प्रस्तुत करेगा, समिति चाहती है कि सरकार को संपूर्ण प्रभाव का उचित अध्ययन और परीक्षण करने के बाद और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद, अर्थात अपेक्षित तौर-तरीकों को विधिवत पूर्ण करने के बाद, डब्ल्यूपीआई से पीपीआई में परिवर्तन के विषय पर विचार करना चाहिए। समिति आगे यह भी आशा करती है कि प्रो. रमेश चंद्र की अध्यक्षता में कार्यदल विस्तारित अवधि अर्थात जून, 2021 के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। समिति प्रो. रमेश चंद्र के अधीन कार्य समूह की सिफारिशों के सार से अवगत होना भी चाहती है।

सरकार का उत्तर

2.6 वर्ष 2017-18 को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) को नया आधार वर्ष माना जा सकता है। इनपुट आउटपुट टेबल (आईओटी) और सप्लाई यूज टेबल (एसयूटी) वर्तमान में 2015-16 तक उपलब्ध हैं, और नए आधार वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध नहीं हैं। 2017-18 के पीपीआई भार को एमओएसपीआई द्वारा उपयोग तालिका जारी करने के बाद अद्यतन किया जा सकता है।

कार्य समूह ने प्रायोगिक आधार पर पीपीआई जारी करने की सिफारिश की है और 2017-18 के इसके भार को एमओएसपीआई द्वारा आईओटी और एसयूटी जारी करने के बाद अद्यतन किया जा सकता है। बिजनेस सर्विसेज प्राइस इंडेक्स (बीएसपीआई) को अलग से प्रसारित किया जा सकता है और स्थिरता और मजबूती हासिल होने के बाद इसे डब्ल्यूपीआई/पीपीआई में मिला दिया जाएगा। चरण-I में, छह सेवा मूल्य सूचकांक अर्थात्; बीएसपीआई- बैंकिंग, बीएसपीआई-बीमा, बीएसपीआई- प्रतिमूति, बीएसपीआई-

टेलीकॉम, बीएसपीआई- एयर ट्रांसपोर्ट और बीएसपीआई- रेलवे को अलग-अलग इंडेक्स के रूप में जारी किया जा सकता है और उपरोक्त सेवाओं के मूल्य सूचकांकों और उनके भार के आधार पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में उनके आउटपुट के मूल्य के अनुसार एक संयुक्त बीएसपीआई का भी पता लगाया जा सकता है।

कार्य समूह की रिपोर्ट की तकनीकी जांच, मूल्य और जीवन यापन की श्रृंख्ला पर तकनीकी सलाहकार समिति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा की जाएगी। स्थानांतरण की व्यवहार्यता और इसके तौर-तरीकों के संबंध में अंतिम निर्णय सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा लिया जाएगा।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.10 देखें)

सिफारिश सं. 5

2.7 समिति ने पाया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएस अधिनियम), 2006 की धारा 4 के तहत अधिनियम के अधिदेश को पूरा करने अर्थात खाद्य मानकों पर नियम बनाने के लिए की गई थी। समिति को सूचित किया गया कि एफएसएसएआई केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठकों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ बातचीत करता है जिसमें सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और 2010-11 से 2019-20 तक कुल 27 सीएसी बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए नियमित रूप से भोजन के नमूने ले रहे हैं, जिसके आधार पर नामोदिष्ट अधिकारी एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत दोषी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के खिलाफ अभियोग चलाते हैं। हालांकि, विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष 2016-17 और 2019-20 के बीच, विश्लेषण किए गए खाद्य नमूनों की संख्या 78340 से बढ़ कर 118775 हो गई, मानकों के अनुरूप न पाए गए नमूनों की संख्या 18325 से 29589 बढ़कर, और दायर किए गए

दीवानी/फौजदारी मामलों की संख्या 13080 से 27412 हो गई, लेकिन वास्तव में इसी अवधि के दौरान दोषसिद्धि की संख्या 1605 से गिरकर 821 हो गई। समिति की राय है कि ये रुझान निस्संदेह देश में खाद्य सुरक्षा मानकों पर प्रवर्तन कार्य के संबंध में एफएसएसएआई के प्रयासों में ढील का संकेत देते हैं। समिति आश्वस्त है कि खाद्य पदार्थों का गुणात्मक और सुरक्षा पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका मात्रात्मक पहलू, और इसलिए, वे सरकार से खाद्य पदार्थों के परीक्षण और विश्लेषण पर मौजूदा प्रयासों को और अधिक बल देने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, कि दोषी खाद्य कारोबार संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में कोई ढिलाई न हो कि दोषी खाद्य कारोबार उन्हें यह भी लगता है कि 2010-11 और 2019-20 के बीच सीएसी द्वारा आयोजित कुल 27 बैठकों की संख्या बहुत कम है, और सीएसी द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ अधिक बातचीत एफएसएसएआई के अपने जनादेश को अधिक कुशल तरीके से पूरा करने में सहायक होगी। यह देखते हुए कि एफएसएसएआई के छह प्रवेशस्थल अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तूतीकोरिन और कोच्चि में मौजूद हैं, समिति चाहती है कि बंदरगाहों और व्यापार केंद्रों को शामिल करने ऐसे स्थानों की संख्या को वर्तमान में 6 से बढ़ाकर कम से कम 10 करने और प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए जोरदार के प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी खाद्य व्यापार संचालक गोदामों में संग्रहीत खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करते हैं।

सरकार का उत्तर

2.8 *प्रवर्तन*

एफएसएस अधिनियम, 2006, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का प्रवर्तन का दायित्व मुख्य रूप से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का है, जिसके लिए अधिनियम राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्ण प्रवर्तन मशीनरी प्रदान करता है जिसमें प्रत्येक राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त शामिल होता है जिसकी सहायता के लिए नामोदिष्ट अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी होते हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियम और विनियम 2011 के तहत उचित उपाय करने का अधिकार है। एफएसएसएआई नियमित रूप से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक, वीडियो सम्मेलन और उच्चतम स्तर पर आवधिक बातचीत और लिखित संचार के माध्यम से एफएसएस अधिनियम, 2006, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के

प्रभावी अनुपालन और प्रवर्तन पर्याप्त और सक्षम नियामक कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की सलाह देता है। प्रत्येक तिमाही में सीएसी बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जनशक्ति और शुरू की गई प्रवर्तन गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। एफएसएसएआई के समर्थन के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर आदि सहित कई राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन/भर्ती की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए, एफएसएसएआई ने केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (सीएफएसओ) की भर्ती की है और ऐसे 35 अधिकारियों ने एफएसएसएआई में कार्यभार ग्रहण किया है। वे केंद्रीय लाइसेंस धारक एफबीओ के संबंध में प्रवर्तन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे। सीएफएसओ के अन्य 37 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

एफएसएसएआई सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं सहित पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाओं के निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है और प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे को उन्नत कर रहा है जिनमें उच्च-अंत उपकरणों की स्थापना और प्रयोगशाला कर्मचारियों के प्रशिक्षण शामिल हैं। अब तक 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नयन के लिए 39 राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं को लिया गया है और इस उद्देश्य के लिए 314.48 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने 3 प्रमुख अर्थात एफएसडब्ल्यू के माध्यम से परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र को "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स" (एफएसडब्ल्यूएस) नामक 118 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भी प्रदान की हैं। ये चलती-फिरती प्रयोगशालाएं राज्यों में पदाधिकारियों की पहुंच को बढ़ाती हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी गतिविधियों को संचालित करने में मदद करती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी इच्छा के अधीन और अधिक एफएसडब्ल्यू प्रदान किए जा रहे हैं।

मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रवर्तन अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण, निगरानी और नमूनो की जांच कर रहे हैं। गोदामों सहित इन एफबीओ के विभिन्न परिसरों से निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं आदि से नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां उल्लंघन देखा गया है, एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत चूककर्ता खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (एफबीओ) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

राज्य प्रवर्तन तंत्र द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों और पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाओं की उपलब्धता के कारण, विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड- 19 द्वारा बनाई गई स्थितियों के बावजूद, खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं की निरंतरता को बनाए रखते हुए, प्रवर्तन मशीनरी ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि गैर-अनुरूपता वाले खाद्य नमूनों में न केवल मिलावट वाले मामले शामिल हैं, बल्कि लेबलिंग कमियों, अवमानक मामलों आदि के नमूने भी शामिल हैं। गैर-अनुरूपता नमूनों की संख्या में वृद्धि विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है और यह प्रवर्तन तंत्र के निष्पादन को प्रतिबिंबित नहीं करता है। साथ ही उन्नयन के कारण राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाएं अधिक सटीक परिणाम दे रही हैं।

जहां तक जुर्माने और दोषसिद्धि का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुसार, जिन मामलों में केवल जुर्माना यानि दीवानी मामले शामिल हैं, उन्हें न्यायनिर्णयन अधिकारी की अदालत में दायर किया जाता है और ऐसे मामलों में, केवल दंड, जैसा कि न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है, चूक करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों पर लगाया जाता है। हालांकि, ऐसे मामले जिनमें अधिनियम के तहत कारावास के साथ सजा का प्रावधान निर्धारित किया गया है, यानी कि आपराधिक मामले सीजेएम अदालत के समक्ष दायर किए जाते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि पिछले तीन वर्षों में निर्णीत किए गए दीवानी मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में शुरू किए गए मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और समय आने पर उन पर निर्णय लिया जाएगा।

विगत तीन वर्षों में विश्लेषण किए गए खाद्य नमूनों और गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	**वर्ष**	**विश्लेषित किए गए नमूनों की संख्या**	**गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या**	**शुरू किए गए मुकदमे**	**निर्णीत मुकदमों की संख्या**	**प्राप्त किए गए जुर्मानों की कुल राशि**

								(रूपये)
				सिविल	आपराधिक	सिविल	आपराधिक	
1	**2018-19**	106459	30415	18550	2813	12734	701	32,57,78,087
2	**2019-20**	118775	29589	27412	4681	16881	821	59,38,46,359
3	**2020-21**	107829	28347	24195	3869	15532	520	50, 75,46,934

सीएसी और राज्यों के साथ बातचीत

एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 12 (3) में प्रावधान है कि केंद्रीय सलाहकार समिति नियमित रूप से बैठक करेगी और वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगी। पिछले दो वर्षों से सीएसी की बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की जा रही हैं। अब तक सीएसी की 33 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष (2020-21) में 4 बैठकें और चालू वित्त वर्ष में अब तक 2 बैठकें हुई हैं।

सीएसी बैठकों को अधिक संवादात्मक और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए, एफएसएसएआई ने सीएसी बैठकों के लिए "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की समीक्षा" को कार्यसूची की एक स्थायी मद बनाया है। इस उद्देश्य के लिए, एफएसएसएआई ने एक व्यापक रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तिमाही आधार पर अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट अपलोड करने के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है। त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, लाइसेंसिंग/पंजीकरण, नमूने और परीक्षण, न्यायनिर्णयन, प्रवर्तन गतिविधियों, उपभोक्ता शिकायतों, प्रशिक्षण, एफएसएसएआई पहलों के कार्यान्वयन आदि पर डाटा एकत्र करने वाले 14 फॉर्म हैं।

केंद्रीय सलाहकार समिति में त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है और कमियों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राज्यों के साथ उठाया जाता है। इसके अलावा, राज्यों को अन्य

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए सीएसी की बैठकों में सर्वोत्तम प्रथाओं और उनकी उपलब्धियों/प्रदर्शन पर प्रस्तुतीकरण देने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने और खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए एफएफएसएआई की विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों के दौरे के माध्यम से राज्यों के साथ बातचीत को भी बढ़ाया है। पिछले दो वर्षों में, एफएसएसएआई के सीईओ/अध्यक्ष ने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम, महाराष्ट्र आदि का दौरा किया। इस अवसर का उपयोग राज्य के मुख्यमंत्री/स्वास्थ्य मंत्री/मुख्य सचिव को सुधार के सुझाव सहित खाद्य सुरक्षा की स्थिति के बारे में अवगत कराना था। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इंटरफेस में सुधार करने के लिए, एफएसएसएआई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सत्र आयोजित करता है। एफएसएसएआई के प्रतिनिधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठकों में भी भाग ले रहे हैं।

समझौता ज्ञापन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता

एफएसएसएआई ने 2020-21 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उनकी खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने और कमियों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। समझौता ज्ञापन के तहत, राज्यों के परामर्श से एक वार्षिक कार्य योजना तय की जाती है और संयुक्त वित्त पोषण पैटर्न के मॉडल पर राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। कार्य योजना में राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला का उन्नयन, जागरूकता शिविर का आयोजन, प्रवर्तन और निगरानी गतिविधियों का कार्यान्वयन, हेल्प डेस्क की स्थापना, नमूने और परीक्षण, क्षमता निर्माण, आईईसी गतिविधियों और एफएसएसएआई पहल में भागीदारी जैसी विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है। यह पहल, समग्र खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने और देश में इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

इस पहल के तहत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के लिए 2020-21 में 24 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 64.66 करोड़ रुपये जारी किए गए और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के लिए पहली किस्त के लिए अब तक 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 25.95 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन और हस्ताक्षर के लिए प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।

आयात स्थानों में वृद्धि जहां एफएसएसएआई मौजूद है

पहले, एफएसएसएआई की छह प्रवेश स्थलों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तूतीकोरिन और कोच्चि में मौजूदगी थी। इसके बाद एफएसएसएआई ने कृष्णापट्टनम, विशाखापत्तनम, कांडला, मुंद्रा, बैंगलोर और हैदराबाद में नए खाद्य आयात कार्यालय खोले हैं। इसलिए वर्तमान में एफएसएसएआई के पास अपने स्वयं के अधिकारी हैं जिन्हें 12 स्थानों पर अधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें खाद्य आयात के प्रवेश के 53 बिंदु शामिल हैं। अन्य 97 प्रवेश बिंदुओं पर, खाद्य आयात निकासी कार्य करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार, खाद्य खेपों के आयात के लिए कुल 150 प्रवेश बिंदु, एफएसएसएआई द्वारा सीधे और साथ ही सीमा शुल्क अधिकारियों को अधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित करके कवर किया गया है और इन 150 प्रवेश बिंदुओं को डीजीएफटी द्वारा खाद्य आयात प्रवेश बिंदु के रूप में अधिसूचित किया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 9

2.9 आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 की अनुसूची के अनुसार, 'पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों' को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकार द्वारा क्रमशः 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार-निर्धारित किया गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अपने अंतरराष्ट्रीय उत्पाद की कीमतों, विनिमय दर, कर संरचना, अंतर्देशीय भाड़ा और अन्य लागत तत्वों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर निर्णय लेती हैं। सरकार सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी के लिए उपभोक्ता को प्रभावी लागत को नियंत्रित करती है, जबकि गैर-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बदलाव के अनुरूप ओएमसी द्वारा निर्धारित की जाती हैं। समिति नोट करती है कि 2010-11 से 2018-19 की अवधि के दौरान पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क रु. 76,547 करोड़ से बढ़कर रु.

2,29,247 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान पीओएल पर सीमा शुल्क रु. 26,282 करोड़ से रू. 39,123 करोड़ हो गया। समिति की राय है कि पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले कर अधिक हैं, और देश में मौजूदा तेल मूल्य निर्धारण व्यवस्था का मूल्यांकन करने और अन्य देशों में इस संबंध में प्रचलित प्रणालियों के साथ ही इसका तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद संशोधन की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

2.10 वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे और व्यय की अन्य विकासात्मक मदों के लिए अति आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क दरों में कैलिब्रेटेड परिवर्तन किए गए हैं। इन उत्पादों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क और उपकर से राजस्व ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन पैदा करने में मदद की है। इसके अलावा कोविड-19 और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के कारण, सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। साथ ही, बजट, 2021-22 में, केंद्र सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए पेट्रोल और डीजल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) लगाया।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 11

2.11 समिति को इस बात से अवगत कराया गया है कि सरकार ने समय-समय पर कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए सामान्य और विशिष्ट उपाय किए हैं। उठाए गए सामान्य उपायों में शामिल हैं (**i)** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्श बैठक जैसे विभिन्न मंचों पर दालों, खाद्य तेल आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिता (एडवाइजरी) जारी करना; **(ii)** जहां कहीं लागू हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), **1955** और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय (पीबीएमएसईसी) अधिनियम, **1980** के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श, **(iii)** मंत्रियों, सचिवों की समिति (सीओएस), अंतर-

मंत्रालयी समिति (आईएमसी), मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) के स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की कीमत और उपलब्धता पर आवधिक समीक्षा बैठक और अन्य विभागीय स्तर की समीक्षा बैठकें, और (**iv)** उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और इस तरह खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि। दालों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट उपायों में (**i) 16.71** लाख टन की घरेलू खरीद के माध्यम से **20.50** लाख टन दालों का बफर स्टॉक बनाना और उचित बाजार हस्तक्षेप के लिए **3.79** लाख टन का आयात करना है, **(ii)** मोजाम्बिक के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू), जिसके परिणामस्वरूप **2018-19** के दौरान **1.50** लाख मीट्रिक टन (एमटी) दालों का आयात हुआ, **(iii)** काबुली चना को छोड़कर सभी दालों के निर्यात पर प्रतिबंध, और (**iv) 2016-17** में बेहतर उत्पादन के कारण तुर पर **10%** आयात शुल्क, चना **60%** और मसूर **50%** पर आयात की अनुमति। खाद्य तेलों के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए, तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई, **900** अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ खाद्य तेलों के निर्यात को केवल **5** किलो तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैक में अनुमति दी गई और कच्चे पाम ऑयल और सोया तेल पर आयात शुल्क को तिलहन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया था। सब्जियों के लिए, **(i)** महाराष्ट्र और गुजरात से घरेलू खरीद के माध्यम से पीएसएफ के तहत **57,372.90** मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया था, **(ii)** देश भर के व्यापारियों पर स्टॉक सीमा **29** सितंबर, **2019** को लगाई गई थी, अर्थात् ईसी अधिनियम, **1955** के तहत खुदरा व्यापारियों पर **10** मीट्रिक टन और थोक व्यापारियों पर **50** मीट्रिक टन, **(iii)** हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश को न-लाभ-न-हानि आधार पर प्याज की आपूर्ति की गई। **(iv)** लाभ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत प्याज निर्यातकों को **11.06.2019** को वापस ले लिया गया था और न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) **$850/**एमटी पर **13.09.2019** को लगाया गया था, **(v)** प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध **29** सितंबर, **2019** को लगाया गया था और (**vi)** स्टॉक सीमाएँ पूरे देश में लागू की गईं। समिति चाहती है कि सरकार सभी **22** आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खरीद और वितरण पहलुओं पर पैनी नजर रखे ताकि देश के किसी भी हिस्से में कोई कमी न हो। कृत्रिम कमी से बचने के लिए इन वस्तुओं (जहां लागू हो) के लिए बफर स्टॉक बनाया जाए और इस प्रकार ऐसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और उनके महंगे आयात के रास्ते सीमित कर सकते हैं। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि कृषि उत्पादकता मूल्य स्थिरता और नियंत्रण की कुंजी है, उपभोक्ता मामले विभाग कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय को

समय-समय पर समीक्षा में या सरकार द्वारा आयोजित परामर्शी बैठकों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दे सकता है ।

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

2.12 सरकार आईएमसी और सीओएस द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर पैनी नजर रखती है। इन समितियों ने नियमित आधार पर, आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों की स्थिति और मूल्य प्रवृत्तियों, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएफडब्ल्यू) इन सभी बैठकों में एक प्रमुख हितधारक है और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय करना जारी रखता है।

2020-21 और 2021-22 में मूल्य स्थिरीकरण के लिए दाल और प्याज का बफर स्टॉक रखा गया है। हालांकि दलहन बफर मुख्य रूप से कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीदे गए स्टॉक को स्थानांतरित करके बनाया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत सीधे खरीद भी की गई थी। बफर के लिए खरीद से किसानों को सहायता मिलती है और बफर से निपटान से उपभोक्ताओं के लिए खुदरा कीमतों में कमी आती है। बाजार में कीमतों को कम करने के लिए बफर से दालों और प्याज की अंशांकित (कैलिब्रेटेड) रिलीज शुरू की गई है। खुले बाजार में रिलीज के अलावा, उपभोक्ताओं को खुदरा आपूर्ति के लिए बफर से 21 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई है।

विभाग ने निपटान के मौजूदा खुले बाजार बिक्री (ओएमएस) मार्ग के अलावा, खुदरा हस्तक्षेप तंत्र को सितंबर, 2020 में कीमतों में नरमी लाने के लिए, एफपीएस, डेयरी और बागवानी आउटलेट, उपभोक्ता सहकारी सोसायटी आउटलेट आदि को बाजार के हस्तक्षेप के एक अन्य चैनल के रूप में पेश किया, जो खुदरा हस्तक्षेप तंत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों की आपूर्ति के लिए रियायती कीमतों पर दालों की पेशकश करके खुदरा कीमतों पर प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव को लक्षित करता है। 2020-21 के दौरान, राज्यों को कुल 81,201 मीट्रिक टन मिल्ड तूर की आपूर्ति की गई है और कीमतों में नरमी लाने के लिए ओएमएस के माध्यम से 2.03 एलएमटी तूर साबुत का निपटान किया गया था।

2020-21 में, 1 एलएमटी प्याज का बफर बनाया गया था और खुदरा उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक को सितंबर, 2020 से ओएमएस और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी एजेंसियों जैसे सफल, केंद्रीय भंडार आदि को आपूर्ति के माध्यम से जारी किया गया था। 14 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था और ईसी अधिनियम, 1955 के तहत 23.10.2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक स्टॉक सीमा अधिरोपित की गई थी। 2021-22 के लिए, प्याज बफर को 2 एलएमटी तक बढ़ा दिया गया है ताकि कीमतों में नरमी लाने के लिए प्रभावी बाजार हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके।

घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए दालों के निर्बाध और सुचारू आयात को सुनिश्चित करने के लिए 15 मई, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक अरहर, उड़द और मूंग को प्रतिबंधित श्रेणी से मुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे बाद में तुर और उड़द के संबंध में 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। मसूर के संबंध में, मूल आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को क्रमशः शून्य और 10% तक लाया गया है। मोजाम्बिक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को 2 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए और 5 वर्षों (मार्च, 2026 तक) के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, उड़द के 2.5 एलएमटी और तूर के 1 एलएमटी के वार्षिक आयात के लिए म्यांमार के साथ और 0.50 एलएमटी तूर के वार्षिक आयात के लिए मलावी के साथ 5-वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

दालों की उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उपरोक्त सभी नीतिगत हस्तक्षेप किए गए हैं।

खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए, कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सूरजमुखी तेल और कच्चे सोयाबीन तेल जैसे कच्चे खाद्य तेलों पर मूल शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है ताकि इनमें से प्रत्येक कच्चे तेल के लिए प्रभावी शुल्क 24.75 प्रतिशत हो। इसी तरह, रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड आरबीडी पामोलिन तेल पर मूल आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि इनमें से प्रत्येक रिफाइंड तेल के लिए प्रभावी शुल्क 35.75 प्रतिशत हो।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 12

2.13 समिति ने नोट किया कि **1998** में स्थापित मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी) को प्रारंभ में देश के **18** केंद्रों में **14** आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी का काम सौंपा गया था। मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों (पीआरसी) की संख्या बढ़कर **122** हो गई है, जबकि पीएमडी द्वारा निगरानी की जाने वाली वस्तुओं का दायरा बढ़कर **22** हो गया है नामत: अनाज (चावल और गेहूं), दालें (चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, ताड़ का तेल), सब्जियां (आलू) प्याज, टमाटर), और अन्य वस्तुओं (आटा, चीनी, गुड़, दूध, चाय और नमक) । विषय की जांच से पता चला है कि देश में पीआरसी की संख्या बढ़कर **122** हो गई है, कुछ में पीआरसी की संख्या राज्यों की संख्या कम है। उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में प्रत्येक में केवल एक ही मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र है। दिल्ली एनसीटी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी एक-एक पीआरसी है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे कुछ बड़े राज्यों में प्रत्येक में केवल चार पीआरसी हैं; और पंजाब में केवल **3** पीआरसी हैं। समिति चाहती है कि जहां आवश्यक हो, पीआरसी की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से इन केंद्रों के कामकाज और प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जा सकता है। समिति यह भी नोट करती है कि कोहिमा (नागालैंड) में एक पीआरसी को अनियमित और असंगत रिपोर्टिंग के कारण बंद कर दिया गया है और वे चाहते हैं कि सरकार इस पीआरसी के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए ताकि बिना किसी देरी के इसे पुनर्जीवित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। आगे यह नोट करते हुए कि **106** पीआरसी को मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार डेस्कटॉप कंप्यूटर, बहुउद्देशीय प्रिंटर (केवल काले और सफेद)-सह-स्कैनर-फोटोकॉपियर-फैक्स मशीन, यूपीएस, हैंडहेल्ड डिवाइस, जियोटैगिंग सुविधाओं आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए कि शेष पीआरसी को भी इन उपकरणों और हार्डवेयर की खरीद के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वे **80** आवश्यक वस्तुओं की निगरानी के कार्य को कुशल तरीके से पूरा कर सकें। समिति चाहती है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

2.14 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या 2019-20 में 114 से बढ़कर 2020-21 में 135 और 30.09.2021 तक 167 हो गई है। मोबाइल रिपोर्टिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के अलावा विभाग ने 1 जनवरी, 2021 से मूल्य रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप को चालू करके मूल्य रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक मूल्य रिपोर्ट डेटा की जियोटैगिंग के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि कीमतें बाजार/दुकान के स्थान से रिपोर्ट किए जाते हैं, संभावित मानवीय त्रुटियों को कम करते हैं और मूल्य रिपोर्टिंग की आसानी में सुधार करते हैं।

विभाग अतिरिक्त मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों के प्रस्ताव**,** केंद्रों के कामकाज में सुधार और मूल्य डेटा विसंगतियों**,** नियमितता**,** केंद्रों के लिए जारी धन के उपयोग आदि जैसे अन्य मुद्दों पर नागालैंड सहित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। नागालैंड सरकार से भी विशेष रूप से कोहिमा मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है।

मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण योजना, 15वें वित्त आयोग की पुरस्कार अवधि के दौरान जारी रखने के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन और अनुमोदन के अधीन है। तदनुसार, जिन दिशानिर्देशों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें भी अनुमोदित योजना के अनुसार संशोधन के अधीन किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्मार्ट फोन, सिम कार्ड/डेटा कार्ड के पारिश्रमिक और बेहतर मूल्य रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान के पात्र हैं। मदवार अनुमत्य वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

मद/घटक	मानदंड/सहायता दर **(**रु. में**)**	सहायता की आवधिकता
1) संविदा आधार पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक	Rs. 288000 @24000 प्रतिमाह/प्रति डीईओ	वार्षिक
2) स्मार्ट फोन	Rs.10,000	2 वर्ष
3) सिम कार्ड/डाटा कार्ड	Rs.6,000	वार्षिक
B) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में प्रशिक्षण/कार्यशाला/सेमिनार कॉन्फ्रेंस आयोजित करना	Rs.1,00,000	वार्षिक

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 13

2.15 उपभोक्ता मामले विभाग ने समिति को अवगत कराया कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर करने के लिए, सरकार ने समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें (**i)** घरेलू उपलब्धता और मध्यम कीमतों को विनियमित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) जैसे व्यापार और राजकोषीय नीति के उपकरणों का उचित उपयोग करना शामिल इत्यादि**; (ii)** जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए स्टॉक सीमाएं लगाना और राज्यों को सलाह देना**; (iii)** उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रावधान। इस संबंध में, समिति ने नोट किया कि टमाटर, प्याज और आलू (टीडीपी) मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए **500** करोड़ के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'ऑपरेशन ग्रीन्स' नामक एक नई योजना शुरू की गई थी। समिति का मानना है कि ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त देश में **81** घरेलू उत्पादन और टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता को बढ़ाने में मददगार होगा, जिससे उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उनकी कीमतों को स्थिर और नियंत्रित किया जा सकेगा। इसलिए, समिति चाहती है कि सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी करने के लिए ठोस कदम उठाए। सरकार योजना की प्रगति का मूल्यांकन भी कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो योजना के लिए बढ़ा हुआ वित्तीय आवंटन कर सकती है।

सरकार का उत्तर

2.16 टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों के लिए एफपीओ, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में रुपये 500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ की गई थी। यह योजना नवंबर 2018 में पायलट आधार पर चयनित समूहों में टॉप फसलों के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना की स्थापना को बढ़ावा

देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। माध्यमिक प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ, इस योजना में प्राथमिक प्रसंस्करण/भंडारण सुविधाओं के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचे में निवेश की परिकल्पना की गई है। इस उत्पादन क्लस्टर में किसानों को उत्पादन का प्रबंधन करने, प्रसंस्करण योग्य या दोहरे उपयोग वाली किस्मों को अपनाने, कटाई के बाद की गतिविधि, मूल्य वर्धन और टॉप उत्पाद के विपणन में संलग्न करने के लिए एफपीओ में संगठित किया जा रहा है।

स्कीम का सार

स्कीम की कार्यनीति: इस योजना में मूल्य स्थिरीकरण उपायों (अल्पावधि के लिए) और मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं (दीर्घावधि के लिए) की द्वि-आयामी कार्यनीति है।

(i) **अल्पावधि: मूल्य स्थिरीकरण के उपाय (परिवहन और भंडारण - 50% सब्सिडी)** - फसल के समय की स्थिति के दौरान, उत्पादक क्षेत्र से खपत केंद्रों को अधिशेष उत्पादन की निकासी और परिवहन और भंडारण पर 50% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है।

ओजी-टॉप से टोटल: ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत 11.06.2020 को दिनांक 10.06.2020 को मंत्री, एफपीआई द्वारा एसएफसी की सिफारिश के आधार पर, कोविड महामारी के बीच आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण माननीय वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में अल्पकालिक उपायों का दायरा टॉप से टोटल (41 अधिसूचित फल और सब्जियां) तक बढ़ा दिया गया था।

- किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों और सब्जियों की आवाजाही के लिए 12.10.2020 को 50% माल ढुलाई सब्सिडी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। तत्पश्चात, मंत्रालय ने भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली किसान रेल सेवा के माध्यम से किसी भी फल और सब्जी पर परिवहन सब्सिडी की अनुमति दी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों से अधिसूचित फलों और सब्जियों की आवाजाही के लिए 50% हवाई माल भाड़ा सब्सिडी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश 02.11.2020 को जारी किए गए। इसके बाद, मंत्रालय ने एनईआर और हिमालयी राज्यों से हवाई मार्ग से किसी भी फल और सब्जी पर परिवहन सब्सिडी की अनुमति दी।
- जम्मू और कश्मीर से सेब के परिवहन और/या भंडारण के लिए पात्र संस्थाओं को नैफेड के माध्यम से 50% सब्सिडी प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश 27.11.2020 को जारी किए गए।

(ii) दीर्घावधिः मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं- मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में टॉप फसलों के लिए चिन्हित समूहों में परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। उत्पादन समूहों में किसानों को उत्पादन, कटाई के बाद की गतिविधियों, मूल्य संवर्धन और शीर्ष उत्पाद के विपणन के प्रबंधन के लिए एफपीओ में संगठित किया जा रहा है। एससी/एसटी/एफपीओ के मामले में पात्र परियोजना लागत का औसतन 50%/70 फीसदी की दर से सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब तक छह परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कार्यान्वयन चरण में हैं और उनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

<u>ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत स्वीकृत एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं</u>

(रु. करोड़ में)

क्रं. सं.	**पीआईए का नाम**	**क्लस्टर का स्थान**	**फसल का नाम**	**अनुमोदन की तिथि**	**कुल परियोजना लागत**	**सहायता अनुदान**
1	मेसर्स आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करम सोसायटी	चित्तोर, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	टमाटर	20.03.2019	109.99	48.82
2	मेसर्स नेडस्पाइस डिहाइड्रेशन इंडिया एलएलपी	भावनगर, गुजरात	प्याज	20.03.2019	63.64	25.22
3	मेसर्स खेमानंद दूध और कृषि उत्पाद कंपनी लिमिटेड	अहमदाबाद, महाराष्ट्र	प्याज	08.01.2020	31.33	14.60
4	मेसर्स बांसकांठा जिला सहकारिता उत्पाद यूनियन लिमिटेड	बांसकांठा, गुजरात	आलू	08.01.2020	103.87	30.56
5	मैसर्स वांगी फूड्स	खेड़ा, गुजरात	टमाटर	05.03.2020	18.50	4.51
6	मेसर्स स्मार्ट एग्री एग्रोविले	नासिक, महाराष्ट्र	प्याज	03.02.2021	35.97	13.11
कुल					**363.30**	**136.82**

बजट घोषणा 2021-22: बजट घोषणा 2021-22 के अनुसरण में, कृषि और संबद्ध उत्पाद और उनके निर्यात में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत दीर्घकालिक कार्यनीति अर्थात् वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का दायरा **टॉप से ट्वेंटी-टू-पेरिशेबल उत्पादों** तक बढ़ाया जा रहा है। माननीय मंत्री, एफपीआई के अनुमोदन से टॉप फसलों के अतिरिक्त 19 शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की सूची इस प्रकार है:-

फल (10): आम, केला, सेब, अनानास, कीनो/मैंडरिन/संतरा, अंगूर, आँवला/आमला, अनार, अमरूद, लीची।

सब्जियाँ (8): मटर, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, करेला, ओकरा, लहसुन, अदरक।

मरीन (1): श्रिम्प

बजट घोषणा 2021-22 के क्रियान्वयन की कार्यनीति इस प्रकार है:-

v. बागवानी प्रभाग, कृषि मंत्रालय के उत्पादन डेटा और संबंधित राज्यों और अन्य हितधारकों द्वारा सत्यापन के आधार पर शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए उत्पादन समूहों की पहचान की जाएगी।

vi. मूल्य श्रृंखला में कमियों की पहचान चयनित उत्पादन क्लस्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप असेसमेंट स्टडीज आयोजित करके की जाएगी।

vii. इसके समानांतर, योजना दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

viii. मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप से फसल के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों के लिए बिक्री बढ़ाने के लिए 22 खराब होने वाली मूल्य श्रृंखला में उन अंतराल को भरने के लिए सीमित होगा। अन्य संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उनके संस्थानों आदि से भी मूल्य श्रृंखला में उन अंतरालों को भरने का अनुरोध किया जाएगा।

<u>आरंभ से व्यय का ब्यौरा</u>

			₹ करोड़ में
वर्ष	**बीई**	**आरई**	**एई**
2018-19	0	200	5.50
2019-20	200	32.48	2.84
2020-21	127.5	38.21	38.21
2021-22	73.4	-	39.80
अबतक कुल व्यय			**86.35**

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.7 देखें)

सिफारिश सं. 14

2.17 समिति ने नोट किया कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत **12** मार्केटिंग इंटेलिजेंस इकाइयां (एमआईयू) हैं, जो देश भर में फैले थोक बाजारों से **176** कृषि वस्तुओं की कीमतों की रिपोर्ट करती हैं। थोक मूल्य सूचकांक (**WPI)** की गणना के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार (विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए थोक मूल्य प्रत्येक शुक्रवार को लेनदेन के पीक समय के दौरान एकत्र किए जाते हैं, और डीईएस एमआईयू द्वारा रिपोर्ट किए गए इन साप्ताहिक थोक मूल्यों को बनाए रखता है और विभिन्न बैठकों के लिए इनपुट के रूप में उसी को प्रदान करता है, नीति / निर्णय लेने के लिए और देश में कृषि मूल्य की स्थिति का आकलन करता है। कृषि वस्तुओं की कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव के मामलों में, एमआईयू को तुरंत उन कृषि वस्तुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो मूल्य में उतार-चढ़ाव के अध्याधीन हैं। समिति चाहती है कि सरकार देश में मार्केटिंग इंटेलिजेंस के संगठन और कामकाज को मजबूत करने के लिए, डीईएस और **12** मार्केट इंटेलिजेंस इकाइयों के काम को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ देश भर में वर्तमान में संचालित एमआईयू की संख्या में वृद्धि करके उपर्युक्त कदम उठाए।

समिति विभाग के उत्तर को नोट करते हुए निराश है क्योंकि मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी) की स्थापना के बाद से प्राप्त फीडबैक के परिणामस्वरूप लिए गए प्रमुख निर्णयों के विवरण के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। समिति अपेक्षा करती है और चाहती है कि विभाग उनके कार्यान्वयन पहलुओं के साथ-साथ जब और जैसे भी कहा जाए, आवश्यक संदर्भ और मूल्यांकन करने के लिए कम से कम पीएमडी से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के ब्योरे पर नजर रखे।

देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित और नियंत्रित करने के लिए पुनर्गठित मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) की **17** बैठकें, अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की **35** बैठकें, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा पर सचिवों की समिति (सीओएस) की **9** बैठकें, मंत्रियों की

समिति की **2** बैठकें और **2019** के दौरान पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक के प्रबंधन की साप्ताहिक समीक्षा पर **35** बैठकें आयोजित की गईं**,** समिति चाहती है कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर सरकार के उच्चतम स्तर पर ऐसी बैठकें अधिक बार आयोजित करें और सुधारात्मक**,** अनुवर्ती उपाय करें।

सरकार का उत्तर

2.18 यह नोट कर लिया गया है। कीमतों की दैनिक रिपोर्ट और पीएमडी द्वारा विधिवत विश्लेषण किए गए सांकेतिक मूल्य रुझान, बफर, निर्यात-आयात नीति आदि से स्टॉक जारी करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए पीएसएफएमसी, आईएमसी और सीओएस द्वारा विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं। कीमतों के अतिरिक्त, पीएमडी निकट भविष्य के लिए सांकेतिक उपलब्धता और कीमत की स्थिति पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक उत्पादन, मंडी आवक और कृषि-बागवानी वस्तुओं की स्थिति और प्रवृत्तियों और मूल्य स्तरों और प्रवृत्तियों के साथ उनके सहसंबंध का भी विश्लेषण किया। बफर से प्याज की बाजार में रिलीज की कुल मात्रा कीमत की स्थिति से निर्देशित होती है और पीएमडी की रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख मंडियों और उपभोक्ता केंद्रों में मौजूदा कीमतों द्वारा रिलीज का लक्ष्य निर्देशित किया जाता है। पीएमडी द्वारा सितंबर, 2020 में रिपोर्ट की गई तूर की कीमतों में वृद्धि ने 2.03 लाख मीट्रिक टन को खुले बाजार में रिलीज का आधार बनाया और अक्टूबर, 2020 से फरवरी, 2021 के दौरान खुदरा उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए खुदरा हस्तक्षेप तंत्र के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रस्ताव दिया, जिससे तूर की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तूर की कीमतों पर खुदरा कीमतों के मुकाबले दालों की वार्षिक उतार-चढ़ाव का विश्लेषण आयात नीति निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट का गठन करता है जैसे कि वार्षिक आयात कोटा की मात्रा तय करना, निर्बाध आयात की सुविधा के लिए एक निश्चित अवधि के लिए इन दालों की, और मसूर पर प्रभावी शुल्क को घटाकर तूर, उड़द और मूंग के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी से मुक्त श्रेणी में स्थानांतरित करता है।

पीएसएफएमसी, आईएमसी और सीओएस की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। 2021 में अब तक 29 आईएमसी बैठकें, 12 सीओएस बैठकें और 2 पीएसएफएमसी बैठकें हो चुकी हैं। पीएसएफएमसी मूल्य स्थिरीकरण कोष के प्रबंधन और कार्यान्वयन से संबंधित है, जिसके लिए आईएमसी और सीओएस स्तर पर विचार-विमर्श और निर्णय के आधार पर प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

सिफारिश सं. 15

2.19 समिति नोट करती है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना वर्ष 2014-15 में की गई थी, जो राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को उनकी कार्यशील पूंजी और अन्य खर्चों में सहायता का समर्थन करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता है जो वे खरीद और निर्धारित/निर्धारित वस्तुओं के लिए वितरण हस्तक्षेप पर खर्च कर सकते हैं। पीएसएफ का प्रबंधन केंद्रीय रूप से मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) द्वारा किया जाता है, जो राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के सभी प्रस्तावों को मंजूरी देगी। समिति चाहती है कि पीएसएफएमसी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए और कीमतों में वृद्धि और कमी को रोकने के लिए प्याज, आलू और दालों जैसी वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को कम करने की दृष्टि से धनराशि जारी की जानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.20 मूल्य स्थिरीकरण के लिए केंद्रीय संचित निधि पीएसएफएमसी को प्रस्तुत राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने के प्रस्ताव के आधार पर मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार हस्तक्षेप के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। राज्य स्तरीय कॉर्पस भारत सरकार और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 के अनुपात में, बनाया गया है। केंद्र का हिस्सा 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है।

अब तक उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य स्तरीय पीएसएफ की स्थापना के लिए छह राज्य सरकारों को धनराशि जारी की है। रिलीज का विवरण इस प्रकार है:

राज्य	कुल आवश्यक पीएसएफ निधि **(₹** करोड़**)**	राज्य का हिस्सा **(₹** करोड़**)**	जारी किया गया केंद्र का हिस्सा **(₹** करोड़**)**		
			पहली किस्त	दूसरी किस्त	कुल
आंध्र प्रदेश	100	50	25 (2015-16)	25 (2017-18)	50
तेलंगाना	18.31	9.15	4.575 (2015-16)	4.575 (2015-16)	9.15

पश्चिम बंगाल	10	5	2.50 (2015-16)	-	2.50
ओड़िशा	100	50	25 (2018-19)	-	25
तमिल नाडू	10	5	2.50 (2019-20)	-	2.50
असम	200	50	75 (2019-20)	-	75
कुल रिलीज					**164.15**

विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पत्रों के माध्यम से राज्य स्तरीय पीएसएफ बनाने के लिए और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के प्रभारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्श बैठक, मूल्य निगरानी पर क्षेत्रीय सम्मेलनों जैसे बैठकों में लगातार उठा रहा है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मूल्य निगरानी पर नियमित वीसी बैठक कर रहा है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.10 देखें)

सिफारिश सं. 16

2.21 समिति का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) देश में सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। जून**, 1997** में**,** सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' **(**टीपीडीएस) की शुरुआत की**,** इसके बाद दिसंबर**, 2000** में 'अंत्योदय अन्न योजना' **(**एएवाई) नामक एक योजना शुरू की गई**,** जिसका उद्देश्य टीपीडीएस को अधिक केंद्रित और गरीब और गरीब से गरीब को लक्षित बनाना है। वर्तमान में देश भर में लगभग **2.5** करोड़ परिवार एएवाई के अंतर्गत आते हैं। **2013** में अधिनियमित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत**,** पात्र परिवारों / लाभार्थियों में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति शामिल हैं। एएवाई परिवार**,** जो सबसे गरीब हैं**,** प्रति परिवार **35** किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं**,** जबकि पीएचएच श्रेणी के अंतर्गत

आने वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह **5** किलोग्राम खाद्यान्न अत्यधिक सब्सिडीयुक्त चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए क्रमशः **3/2/1**रुपए प्रति किग्रा रियायती कीमतों पर प्राप्त करने के हकदार हैं। समिति नोट करती है कि टीपीडीएस वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित है**,** जहां केंद्र सरकार ने सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्यान्नों की खरीद**,** भंडारण**,** परिवहन और आवंटन की जिम्मेदारी और आवंटन की परिचालन जिम्मेदारी संभाली है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर खाद्यान्न**,** एनएफएसए के तहत पात्र परिवारों की पहचान**,** राशन कार्ड जारी करना**,** उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण और एफपीएस की लाइसेंसिंग और निगरानी आदि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं। समिति चाहती है कि सरकार टीपीडीएस की दक्षता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसकी मजबूत निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करे।

सरकार का उत्तर

2.22 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अध्याय XI के तहत टीपीडीएस की मजबूत निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र पहले से ही प्रदान किया गया है और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उचत मूल्य की दुकानों सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज पर समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने का आदेश देता है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर इस संबंध में सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है।

28. (1) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कामकाज पर आवधिक सामाजिक संपरीक्षा आयोजित करेगा या करवाएगा, और इसके निष्कर्षों को प्रचारित करने और आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) यह भी प्रदान करता है कि

3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कामकाज और ऐसी प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर समय-समय पर संशोधित, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर स्थानीय अधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाएं और निराश्रित

व्यक्ति या विकलांग व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व देते हुए, प्रत्येक राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में निर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी।

4. सतर्कता समितियां निम्नलिखित कार्य करेंगी, अर्थात्:-

(क) इस अधिनियम के तहत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

(ख) इस अधिनियम के प्रावधान; के किसी भी उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करें तथा

(ग) जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में, उसके द्वारा पाए गए किसी भी कदाचार या धन के दुरुपयोग के बारे में सूचित करें।

इसके अतिरिक्त, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में प्रावधान है कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करेगी। सतर्कता समितियों की बैठक प्रत्येक तिमाही में सभी स्तरों पर कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और बैठक की तारीख और आवधिकता समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और व्यापक प्रचार किया जाएगा। राज्य सरकार सतर्कता समितियों के कामकाज पर सालाना एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.13 देखें)

सिफारिश सं. 17

2.23 समिति ने नोट किया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कामकाज में सुधार लाने के लिए और देश भर में अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए, विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन की 'एंड-टू-एंड' कम्प्यूटरीकरण नामक एक

योजना लागू कर रहा है। इसके घटक- **I** के तहत प्रमुख गतिविधियों को शामिल करता है, जैसे, (क) राशन कार्ड / लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटलीकरण, (ख) उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) स्तर तक खाद्यान्नों का आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम-जनरेटेड आवंटन आदेशों के लिए खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन। (ग) सभी एफपीएस पर खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, (घ) ऑनलाइन शिकायत निवारण/टोल-फ्री हेल्पलाइन और पारदर्शिता पोर्टल, (ङ) पारदर्शी खाद्यान्न वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को स्थापित करके उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का स्वचालन और एनएफएसए के तहत वास्तविक लाभार्थियों के यूनिक पहचान के लिए बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण इस संबंध में, समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)' योजना के तहत **50.96** करोड़ (**40%)** रुपये की वित्तीय सहायता। कुछ अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के बाद **31** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, एनआईसी आदि को जारी किए गए हैं। समिति को यह नोट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि, वर्तमान में, राष्ट्रीय स्तर पर, घर के कम से कम एक सदस्य के आधार संख्या के साथ लगभग **90%** राशन कार्डों को जोड़ा गया है, जबकि लाभार्थी स्तर पर आधार सीडिंग राष्ट्रीय स्तर लगभग **86%** है। इसके अलावा, तीन केंद्र शासित प्रदेशों, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली (शहरी) और पुडुचेरी को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एफपीएस स्तर तक खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन शुरू हो गया है, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)/नकद हस्तांतरण पायलट चल रहा है। समिति आशा और अपेक्षा करती है कि सरकार इस मामले में ठोस प्रयास करके और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर समयबद्ध तरीके से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों के **100%** आधार सीडिंग के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने इस काम में अच्छी प्रगति नहीं की है। समिति यह भी चाहती है कि सरकार देश में 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) संचालन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण' की योजना के तहत सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) में ईपीओएस उपकरणों को स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। इन सभी प्रयासों की सफलता नि:संदेह टीपीडीएस के कामकाज में कमियों को दूर करेगी, अर्थात फर्जी कार्डों को हटाना, खाद्यान्नों का लीकेज/डायवर्जन, और देश में खाद्यान्नों के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करना।

सरकार का उत्तर

2.24 विभाग नियमित रूप से राशन कार्डों की 100% आधार सीडिंग और सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) में ईपीओएस उपकरणों की स्थापना के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार जुड़ रहा है।

हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने राशन कार्डों में 100% आधार सीडिंग हासिल की है और टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न के पारदर्शी वितरण के लिए ईपीओएस उपकरणों की स्थापना के साथ 100% एफपीएस ऑटोमेशन की सूचना दी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी बताया कि राज्य में सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग के लिए विशेष अभियान चलाकर इसके लिए घर-घर अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल ने पहले ही 100% एफपीएस ऑटोमेशन हासिल कर लिया है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू कर दिया है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने क्रमश: जुलाई और अगस्त 2021 ओएनओआरसी को प्रभावी रूप से सक्षम किया है।

असम राज्य भी अपनी आबादी के आधार नामांकन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वर्तमान में आधार नामांकन लगभग आबादी के 68.90% तक बढ़ गया है और राशन कार्ड में आधार सीडिंग का काम 28.3% राशन कार्ड में पूरा हो गया है। हालांकि, राज्य में 28 लाख ऐसे लोग हैं जिनका आधार नामांकन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे के कारण रुका हुआ है। राज्य ने लगभग 5000 आधार नामांकन केंद्र खोले हैं और लोगों को आधार नामांकन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। राज्य इस वर्ष के अंत तक राज्य में सभी व्यक्तियों (उपरोक्त 28 लाख व्यक्तियों को छोड़कर) के आधार नामांकन को पूरा करने की योजना बना रहा है। एफपीएस स्वचालन के लिए, राज्य सरकार ने सभी एफपीएस पर ईपीओएस उपकरणों की स्थापना के लिए एक आदेश दिया है और 31-दिसंबर-2021 तक अपने एफपीएस में ईपीओएस उपकरणों की स्थापना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 18

2.25 समिति नोट करती है कि विभाग अप्रैल, 2018 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, अर्थात् 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' (आईएम-पीडीएस) लागू कर रहा है,

जिसका उद्देश्य राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना है। एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले पात्र परिवार/लाभार्थी 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के माध्यम से अपने मौजूदा/समान राशन कार्ड का उपयोग करके अपनी पसंद की किसी भी उचित दर की दुकान पर खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम होंगे। समिति नोट करती है कि दिसंबर, 2020 तक, 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के तहत राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की सुविधा को 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों (एनएफएसए की आबादी का 86%) को कवर करते हुए इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं भी उन्हें अपने एनएफएसए खाद्यान्न/लाभ तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सुचारू सक्षम किया गया है और वर्तमान में 'वन नेशन एक राशन कार्ड' (अंतर-राज्यीय लेनदेन सहित) के तहत लगभग 1.3 से 1.5 करोड़ मासिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। समिति का मानना है कि इस योजना से निस्संदेह आबादी के बड़े हिस्से, विशेष रूप से देश की प्रवासी आबादी को लाभ होगा, और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करने के बाद सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस तरह की प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। समिति आगे सिफारिश करती है कि देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों की सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आईएम-पीडीएस) के एकीकृत प्रबंधन की योजना के कार्यान्वयन के प्रयासों पर भी राज्य के भीतर जोर दिया जाए। समिति इस मामले में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

2.26 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' अब 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम और छत्तीसगढ़ को छोड़कर) में सुचारू है। असम और छत्तीसगढ़ में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' को सुचारू करने पर कार्य चल रहा है।

असम सरकार ने 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' के कार्यान्वयन पर कार्य शुरू कर दिया है और इस उद्देश्य के लिए सभी 33,987 एफपीएस पर ईपीओएस उपकरणों की संस्थापना का आदेश दिया है, जिसमें से 100 ईपीओएस उपकरण संस्थापित किए जा चुके हैं और उनका परीक्षण चल रहा है।

इसी तरह, छत्तीसगढ़ में, 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' के कार्यान्वयन पर कार्य चल रहा है, जिसके लिए सभी एफपीएस (लगभग 12000) पर पुराने ईपीओएस उपकरणों को विनिर्देशों के अनुरूप नए ईपीओएस उपकरणों से बदला जा रहा है, जिनमें से लगभग 200 ईपीओएस उपकरणों को बदल दिया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 19

2.27 समिति नोट करती है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) आपूर्ति बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से कमी वाले क्षेत्रों में कम उपलब्धता वाले मौसम के दौरान और इस तरह खुले बाजार की कीमतों को कम करने के लिए, खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस)' के तहत खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर केंद्रीय पूल (किसानों को समर्थन देने के लिए खुली खरीद के कारण संचित) से ई-निविदा के माध्यम से गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक को बेचता है। ओएमएसएस (डी) 2020-21 नीति को खुदरा बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए 21.04.2020 को जारी किया गया था, और ई-नीलामी में भागीदारी के बिना 2020-21 के दौरान ओएमएसएस (डी) के तहत आरक्षित मूल्य पर नामित एफसीआई/राज्य एजेंसी डिपो से प्रति व्यक्ति प्रति डिपो 1- 9 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के इच्छुक छोटे (निजी) व्यापारियों को गेहूं की बिक्री का निर्णय लिया गया है। खरीद करने वाले / न करने वाले सभी राज्यों में वर्ष भर 31.03.2021 तक गेहूं की बिक्री की जाएगी। ओएमएसएस (डी) के तहत चावल की बिक्री, केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर, उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धान/चावल की खरीद के दौरान अधिशेष/कम उपलब्धता वाले राज्यों में भी की जा सकती है। समिति चाहती है कि सरकार देश में ओएमएसएस योजना के संचालन में पारदर्शिता और निरंतरता सुनिश्चित करे। समिति यह भी चाहती है कि ईसी अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई करके बड़े व्यावसायियों की थोक में आवश्यक वस्तुओं की खरीद, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी होती है और उनकी कीमतों में वृद्धि होती है, की प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास किए जाएं।

सरकार का उत्तर

2.28 ओएमएसएस (डी) नीति के तहत, एफसीआई खुले बाजार में गेहूं और चावल के अतिरिक्त स्टॉक को ऑफलोड करता है जो बफर स्टॉकिंग मानदंडों से ऊपर है। बफर और कार्यनीतिक मानदंडों से अधिक

खाद्यान्न स्टॉक की मात्रा और उसकी बिक्री की कीमत की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा समिति गठित की गई है जिसमें सचिव (व्यय), सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण), सचिव (उपभोक्ता मामले) और सचिव (वाणिज्य) शामिल हैं। बफर आवश्यकता से अधिक केंद्रीय पूल स्टॉक में खाद्यान्न के विशाल अधिशेष स्टॉक, जिस पर सरकार भारी ढुलाई लागत वहन कर रही है, को ध्यान में रखते हुए और इन खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट से बचने के लिए और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, ओएमएसएस (डी) नीति की समीक्षा की जाती है और इसमें समय-समय पर संशोधन किये जाते हैं। थोक उपभोक्ताओं/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुले बाजार में गेहूँ और चावल के अतिरिक्त स्टॉक अर्थात् बफर मानदंड से अधिक की बिक्री के लिए वर्ष 2021-22 के लिए ओएमएसएस (डी) नीति 30.04.2021 को जारी की गई है। कोविड-19 स्थिति के पुनः प्रकोप के मद्देनजर और राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एपसीआई राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को आरक्षित मूल्य पर ई-नीलामी के साथ या बिना स्टॉक उठाने का विकल्प देगा।

(i) खुले बाजार में बिक्री के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

1	आरएमएस 2019-20 का गेहूं यूआरएस	1800/- रुपये प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय)
2	आरएमएस 2020-21 का गेहूं यूआरएस	2000/- रुपये प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय)
3	आरएमएस 2021-22 को छोड़कर सभी फसल वर्षों में गेहूं एफएक्यू	2100/- रुपये प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय)
4	आरएमएस 2021-22 का गेहूं एफएक्यू	2150/- रुपये प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय)

(ii) गेहूं की सभी श्रेणियों के लिए उपरोक्त आरक्षित मूल्य पूरे देश में एक समान रखा जाएगा, ताकि बिक्री को बढ़ाने के लिए और खरीदारों को अपने स्टॉक को उनके इच्छित स्थान पर ले जाने के लिए रेलवे पर उनकी निर्भरता के बिना किसी भी स्थान से स्टॉक को आसानी से उठाने की सुविधा मिल सके।

(iii) खुले बाजार में बिक्री के लिए चावल का आरक्षित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

चावल सभी फसल वर्ष	राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए और जैव ईंधन नीति के तहत इथेनॉल उत्पादन में भाग ले रहे सभी निजी पक्षकारों के लिए 2000/- रूपये प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय)। इथेनॉल के उत्पादन के लिए ओएमसी निविदाओं में भाग लेने वाले निजी पक्षकारों, जिनके लिए आरक्षित मूल्य 2000 रुपये / क्विंटल है, को छोड़कर अन्य निजी पक्षकारों के लिए 2200 रुपये / क्विंटल।

इसके अलावा, पत्र सं. 1-1/2020-पीवाई.IV(ई-370750) दिनांक 30.04.2021 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि पत्र संख्या 1-1/2020-पीवाई.IV(ई-370750), दिनांक 21.04.2020 के माध्यम से शुरू की गई खुदरा योजना 31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी बाद में हो, जारी रहेगी। ये योजनाएं इस प्रकार हैं:

(i) खुदरा बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए, अतः, ई-नीलामी में भागीदारी के बिना ओएमएसएस (डी) के तहत नामित एफसीआई/राज्य एजेंसी डिपो से 1-9 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति प्रति डिपो से गेहूं खरीदने के इच्छुक छोटे (निजी) व्यापारियों को **गेहूं के लिए 21 रुपए किलो** की **दर से** गेहूं बेचने का निर्णय लिया गया है।

(ii) ओएमएसएस (डी) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल की बिक्री के लिए एक खुदरा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एफसीआई के गोदामों से आबंटित मात्रा में गेहूं और चावल उठा सकती हैं और खुदरा उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के निगमों/सहकारिता/संघों/स्वयं सहायता समूहों या किसी अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन के माध्यम से वितरित कर सकती हैं। इसी प्रकार खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की जांच के लिए खुदरा उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए नेफेड/एनसीसीएफ/केंद्रीय भंडार जैसे संस्थानों और छोटे प्रोसेसरों को आबंटन पर विचार किया जा सकता है। तद्नुसार, इस योजना के लिए भारतीय खाद्य निगम इस विभाग को आवश्यक आबंटन के लिए राज्य सरकारों/संस्थाओं जैसे नेफेड/एनसीसीएफ/केन्द्रीय भंडार को **गेहूं के लिए 21 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 22 रुपये प्रति किलोग्राम** की **दर से** प्रस्ताव भेज सकता है ।

ओएमएसएस (डी) 2021-22 के तहत बड़े व्यावसायियों द्वारा बिक्री के एकाधिकार की स्थिति से बचने के लिए नीति के तहत निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध हैं:

(क) गेहूं की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा जिसकी कोई निजी खरीदार बोली लगा सकता है वह क्रमशः 10 एमटी (10 के गुणक में) और 5000 मीट्रिक टन है। राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किसी निविदा में बोली लगाने के लिए अधिकतम मात्रा 50,000 मीट्रिक टन हैं। किसी ई-नीलामी में थोक उपभोक्ता/व्यापारी द्वारा बोली लगाई जाने वाली चावल की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा क्रमशः 50 एमटी और 3500 एमटी है। चावल की अधिकतम मात्रा जिसकी कोई राज्य सरकार एकल ई-नीलामी में बोली लगा सकती हैं - 50,000 मीट्रिक टन है।

(ख) एफसीआई को एक निर्णय की सूचना दी गई है कि बिक्री की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ओएमएसएस (डी) 2021-22 के तहत बिक्री के लिए पेश की जाने वाली क्षेत्र/स्थानवार मात्रा को एफसीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जा सकता है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 20

2.29 समिति नोट करती है कि वर्ष 2007-08 में शुरू किए गए और 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के चिन्हित जिलों में लागू किए जा रहे 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' (एनएफएसएम) के तहत, देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक की इस अवधि के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, अर्थात् चावल के लिए 105.48 मिलियन टन से 116.48 मिलियन टन, गेहूं के लिए 86.53 मिलियन टन से 103.60 मिलियन टन, दालों के लिए 17.15 मिलियन टन से 22.07 मिलियन टन और पोषण/मोटे अनाज के लिए 42.86 मिलियन टन से 43.06 मिलियन टन हुई है। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान इन खाद्यान्नों का कुल अनुमानित उत्पादन चावल, गेहूं, दालें और पोषण/मोटे अनाज के लिए क्रमश: 117.48 मिलियन टन, 106.21 मिलियन टन, 23.02 मिलियन टन और 45.24 मिलियन टन है, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए एनएफएसएम के लिए आवंटन 1600.00 करोड़ रुपये (बीई) है। समिति आश्वस्त है कि चावल, गेहूं, दालें और मोटे अनाज वाले खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि बफर स्टॉक के लिए और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्न की बढ़ी हुई उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, जिससे देश

में खाद्यान्न की कीमतों की स्थिरता में सहायता मिलती है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (फसल प्रभाग) को खाद्यान्न के भारी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए एनएफएसएम के कार्यान्वयन में कोई कसर न छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे देश के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इन खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम किया जा सके। समिति यह भी आशा करती है और इच्छा रखती है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि वर्ष 2020-21 के लिए किए गए 1600 करोड़ रुपये के आबंटन का पूरी तरह से उपयोग किया जाए, जिससे एनएफएसएम देश में खाद्यान्न, दालों और पोषक/मोटे अनाज का उच्च उत्पादन प्राप्त करने में सक्षम हो। सरकार को एनएफएसएम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन करनी चाहिए और मिशन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। समिति इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

2.30 फसल प्रभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 से 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के चिन्हित जिलों में एनएफएसएम लागू किया जा रहा है। एनएफएसएम के तहत , चावल, गेहूं, दालें, पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे बाजरा), मोटे अनाज (मक्का और जौ) और वाणिज्यिक फसलों (कपास, जूट और गन्ना) *जैसी* फसलों को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है । बीज उत्पादन, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी पर क्लस्टर प्रदर्शन, नई जारी किस्मों/हाइब्रिड के प्रमाणित बीज वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन, पादप सुरक्षा रसायन, जैव-कीटनाशक, मिट्टी में सुधार करने वाले, पानी की बचत करने वाले उपकरण जैसे स्प्रिंकलर सेट, सिंचाई पाइप, पंपसेट और रेनगन, उन्नत कृषि उपकरण / उपकरण के वितरण आदि और किसानों को प्रशिक्षण जैसे हस्तक्षेपों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से किसानों को सहायता दी जाती है। यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) को भी विषय वस्तु विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में प्रौद्योगिकी को वापस रोकने और किसान को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है जो फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

विनाशकारी कोविड-19 महामारी के बावजूद, मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए और वर्ष 2020-21 के दौरान 1208.93 करोड़ रूपये का उपयोग सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, सरकार मुख्य रूप से दलहन और पोषक अनाज पर ध्यान केंद्रित कर रही है और खाद्यान्न फसलों के भारी उत्पादन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही है।

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए डेलॉयट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी के माध्यम से एनएफएसएम योजना का प्रभाव मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन (एनएफएनएसएम) के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के लिए ज्ञापन में संशोधन किया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 21

2.31 समिति नोट करती है कि जबकि वनस्पति तेलों और वसा की घरेलू मांग 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, वहीं घरेलू उत्पादन लगभग 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, जो निस्संदेह आपूर्ति-मांग में अंतर का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप देश में खाद्य तेल की आवश्यकता का लगभग 65% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसमें प्रमुख घटक पॉम ऑयल है। समिति यह भी नोट करती है कि सरकार 'तिलहन और पॉम ऑयल संबंधी राष्ट्रीय मिशन' (एनएमओओपी) का कार्यान्वयन कर रही है, जो एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसमें वर्ष 2014-15 से तीन मिनी मिशन (एमएम), तिलहन (एमएम-आई), पॉम ऑयल (एमएम-II) और ट्री बोर्न तिलहन (एमएम-III) प्रत्येक के लिए एक-एक मिशन और बाद में वर्ष 2018-19 से, एनएमओओपी योजना को एनएफएसएम (ओएस एंड ओपी) के नाम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) में विलय कर दिया गया था और राज्य के कृषि/बागवानी विभाग के माध्यम से 26 राज्यों में तिलहन के लिए, 13 राज्यों में पॉम ऑयल के लिए और 12 राज्यों में ट्री बोर्न ऑयल के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस संबंध में, समिति पाती है कि देश में खाद्य तेलों का आयात जो वर्ष 2014-15 में 138.5 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) था, उसमें थोड़ी गिरावट आई, लेकिन अभी भी चल रहे एनएफएसएम (ओएस एंड

ओपी) के बावजूद वर्ष 2019-20 में 133.4 (एलएमटी) पर रहा। समिति नोट करती है कि वर्ष 2016-17 में एक नई योजना, 'टारगेटिंग राइस फेलो एरिया' (टीआरएफए) शुरू की गई थी, जिसमें खरीफ धान की फसलों की कटाई के बाद कम उपयोग वाली भूमि पर फोकस किया जाता है। इसे अब 6 (छह) पूर्वी राज्यों, अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया जा रहा है, जो देश के 82% से अधिक चावल परती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति चाहती है कि सरकार एनएफएसएम (ओएस एंड ओपी) की प्रगति का मूल्यांकन और समीक्षा करे और मिशन की संबंधित कमियों (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए ताकि देश में खाद्य/वनस्पति तेलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। समिति यह भी आशा करती है और इच्छा रखती है कि सरकार वर्ष 2020-21 के दौरान योजना के लिए आबंटित 500 करोड़ रुपये का पूरा उपयोग करेगी। समिति आगे सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने की सिफारिश करती है कि टीआरएफए योजना चावल की खेती करने वाले 6 (छह) पूर्वी राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू हो, जिससे देश में खाद्य/वनस्पति तेलों की उपलब्धता में वृद्धि हो, जिससे उपभोक्ताओं के लिए इन खाद्य पदार्थों कीमतों में कमी आए और साथ ही देश की खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता में कमी आए। समिति यह भी चाहती है कि सहकारी समितियों/गैर सरकारी संगठनों/किसान संघों आदि की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से टीआरएफए योजना के तहत देश में पॉम ऑयल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

2.32 क. खाद्य तेल - पॉम ऑयल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ-ओपी)

देश में खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए, पॉम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए एक अलग मिशन; खाद्य तेल - पाम ऑयल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया गया है। परियोजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है। इसमें पॉम ऑयल के क्षेत्र में 6.5 लाख हेक्टेयर तक की वृद्धि के साथ वर्ष 2025-26 तक 10.00 लाख हेक्टेयर (जिसमें से भारत के शेष राज्यो के लिए 3.22 लाख हेक्टेयर और उत्तर-पूर्वी राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप

समूह (एएनआई) के लिए 3.38 लाख हेक्टेयर वृद्धि) तक करने का प्रस्ताव है। कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) का उत्पादन वर्ष 2025-26 में बढ़कर 11.20 लाख टन होने की उम्मीद है।

भारत सरकार ने पहली बार किसानों द्वारा उत्पादित फ्रेश फ्रूट बंच (एफएफबी) के लिए व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) की अवधारणा पेश की है वर्तमान में, पाम ऑयल के किसानों को एफएफबी के अपने उत्पादन के लिए मूल्य आश्वासन के लिए भारत सरकार से कोई समर्थन नहीं है।

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की इस प्रणाली के माध्यम से, किसानों को उनकी उपज के लिए इस व्यवहार्यता मूल्य का आश्वासन दिया जाएगा। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की इस प्रणाली के माध्यम से, भारत सरकार एफएफबी भुगतान के लिए मूल्य आश्वासन के लिए बेंचमार्क मूल्य की गारंटी देगी। यदि फॉर्मूला मूल्य व्यवहार्यता मूल्य से कम है, तो सरकार फॉर्मूला और व्यवहार्यता मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करेगी। यह व्यवहार्यता मूल्य तय करने की प्रणाली शुरू करके एक पारदर्शी और तर्कसंगत फॉर्मूला पर आधारित है।

ख. खाद्य तेलों - तिलहन के संबंध में राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ-ओएस)

तिलहन पर एक अलग मिशन (खाद्य तेलों के संबंध में राष्ट्रीय मिशन) सरकार के विचाराधीन है जिसका उद्देश्य वार्षिक तिलहन उत्पादन को बढ़ाना है। खाद्य तेलों - तिलहन के संबंध में राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ-ओएस) का उद्देश्य वार्षिक तिलहन फसलों का उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना और खाद्य तेलों के संबंध में आयात का बोझ कम करना है। एनएमईओ-ओएस के तहत, वर्ष 2025-26 के अंत तक सात वार्षिक खाद्य तिलहन फसलों से 54.10 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 36.10 मिलियन टन के मौजूदा उत्पादन के अलावा लगभग 18.00 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन की उम्मीद है। तीन प्रमुख फसलों *अर्थात्* सोयाबीन, रेपसीड एवं सरसों और मूंगफली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा क्योंकि इन तीन फसलों से 7.54 मिलियन टन खाद्य का उपयोग किया जाता है जो वार्षिक तिलहन (8.56 मिलियन टन) से कुल खाद्य तेलों के 88% से अधिक है।

मिशन के तहत क्षेत्र के विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। धान के परती क्षेत्र को लक्षित करके, अन्य फसलों के साथ अंतर-फसल और उच्च क्षमता वाले जिलों और गैर-पारंपरिक राज्यों/मौसम में विस्तार करके तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सरसों,

सोयाबीन और मूंगफली जैसी प्रमुख तिलहन फसलों के लिए विशेष मिशनों का उद्देश्य नवीनतम और उच्च उपज देने वाली किस्मों द्वारा उच्च बीज प्रतिस्थापन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना है।

खाद्य तेलों के संबंध में इन दोनों मिशनों - एनएमईओ- पॉम ऑयल और एनएमईओ-तिलहन - का उद्देश्य देश में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना और खाद्य तेलों के लिए आयात निर्भरता को कम करना है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

अध्याय तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश सं. 2

3.1 समिति नोट करती है कि यद्यपि देश में अधिकांश कृषि वस्तुओं का उत्पादन अधिशेष हो गया है, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियामक तंत्र द्वारा उद्यमी हतोत्साहित हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप किसानों को तब भारी नुकसान होता है, जब बहुत अधिक पैदावार होती है, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की, जिनमें से अधिकांश को पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएं होने पर कम किया जा सकता था। समिति यह भी नोट करती है कि, जैसा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग, नीति आयोग और पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर बनी भारतीय कृषि परिवर्तन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुशंसा की गई है, कृषि क्षेत्र में तत्काल निवेश को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत व्यापार को सुगम बनाने के आधार पर वातारण बनाने और लगातार सांविधिक नियंत्रण के डर को दूर करने की आवश्यकता है। समिति उम्मीद करती है कि हाल ही में अधिनियमित 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020' जिसका उद्देश्य इस मुद्दे को संबोधित करना था, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, कृषि विपणन में निष्पक्ष और उत्पादक प्रतिस्पर्धा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक वातावरण बनाकर, कृषि क्षेत्र में विशाल अप्रयुक्त संसाधनों को अनलॉक करने के लिए उत्प्रेरक बन जाएगा इसलिए, वे सरकार से आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को अक्षरश: और बिना किसी बाधा के लागू करने की अनुशंसा करते हैं ताकि इस देश में किसानों और कृषि क्षेत्र के अन्य हितधारकों को उक्त अधिनियम के तहत इच्छित लाभ प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, आलू, प्याज और दाल 63 जैसे खाद्य पदार्थ आम आदमी के दैनिक आहार का हिस्सा हैं और लाखों लोग जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ नहीं मिलता है, नए अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समिति यह भी चाहती है कि सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार नजर रखे और, जब भी आवश्यक हो, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 में प्रदान किए गए उपचारात्मक प्रावधानों का सहारा ले।

सरकार का उत्तर

3.2 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को 2020 में संशोधित किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत एक नई उप-धारा (1 ए) अंत:स्थापित की गई थी। धारा 3(1ए) (ए) में अब प्रावधान है कि अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तेल बीज और तेल सहित खाद्य पदार्थों को केवल असाधारण परिस्थितियों में विनियमित किया जाएगा जिनमें युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी गंभीर स्थिति शामिल हो सकती है। धारा 3(1ए)(बी) में प्रावधान है कि स्टॉक की सीमा लगाने का कोई भी निर्णय मूल्य ट्रिगर पर आधारित होगा जैसे कि बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में सौ प्रतिशत की वृद्धि और पिछले बारह महीने या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य की तुलना में गैर-नाशवान कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में तत्काल 50 प्रतिशत की वृद्धि, जो भी कम हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 12.01.2021 के आदेश द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 6

3.3 समिति नोट करती है कि इनपुट, विशेष रूप से उर्वरक, मजदूरी आदि के लिए खेती की लागत में वृद्धि खाद्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करती है। समिति आगे नोट करती है कि सिंचाई के तहत सीमित क्षेत्र होने के कारण, फसलें मानसून की अनिश्चितता और सूखे जैसे मौसम की स्थिति के लिए अतिसंवेदनशील हो गई हैं। समिति चाहती है कि सरकार को विशेषज्ञों, पेशेवरों, शिक्षाविदों आदि के एक पैनल के माध्यम से कृषि उपज की लागत पर इसके प्रभाव का व्यापक अध्ययन करना चाहिए और फिर इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

3.4 अपनी मूल्य नीति की सिफारिश करते समय, सीएसीपी सभी लागतों पर व्यापक रूप में विचार करता है और इसमें उर्वरक, मजदूरी, खाद, सिंचाई प्रभार इत्यादि सहित भुगतान की गई सभी लागतें शामिल हैं। वास्तविक लागत के अलावा, सीएसीपी समग्र इनपुट मूल्य सूचकांक (सीआईपीआई) के माध्यम से इनपुट

कीमतों में रुझानों की निगरानी भी करता है। इसलिए विचार की गई लागतें बहुत व्यापक हैं और समय-समय पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा अनुशंसित कार्यप्रणाली पर आधारित हैं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 7

3.5 समिति इस बात से नाखुश है कि देश में लगभग 30% सब्जियां हार्वेस्टिंग, भंडारण, ग्रेडिंग, परिवहन, पैकिंग और वितरण के दौरान नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा, फसल के बाद के खराब प्रबंधन के कारण आपूर्ति श्रृंखला के साथ सब्जियों की बर्बादी होती है और कोल्ड चेन की कमी और मौसमी उत्पादन कीमतों में उतार-चढ़ाव पैदा करता है। इस संबंध में, समिति ने नोट किया कि सरकार ने भंडारण और परिवहन तकनीकों के उचित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए हैं, और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), आदि जैसी योजनाओं के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का आयोजन कर रही है। सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जागरूकता अभियान, विज्ञापन, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों सहित महत्वपूर्ण मापदंडों पर किसानों को सूचना के प्रसार की सुविधा के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा विकसित 'किसान सुविधा' मोबाइल एप्लिकेशन और 'किसान रथ' मोबाइल एप्लिकेशन, जो किसानों और व्यापारियों को अनाज, मोटे अनाज, दालों, फलों, सब्जियां, तिलहन, मसाले आदि जैसे कृषि उत्पादों के परिवहन के सही तरीके की पहचान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, शामिल हैं। समिति चाहती है की सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए कि ये योजनाएँ और उपाय केवल कागजों पर ही न रहें, बल्कि अभीष्ट परिणाम प्राप्त करें और किसानों और व्यापारियों को वास्तविक लाभ पहुँचाएँ। सरकार को वार्षिक मूल्यांकन के माध्यम से और संबंधित राज्य सरकारों से मूल्यांकन मंगवाकर इन योजनाओं की प्रगति और सफलता की निगरानी करनी चाहिए ताकि फसल, भंडारण, ग्रेडिंग, परिवहन, पैकिंग और वितरण के दौरान देश में इस समय हो रही 30% सब्जियों की बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके। समिति आगे नोट करती है कि अन्य देशों, विशेष रूप से उन्नत (विकसित) देशों की फसल कटाई के बाद की फसल/सब्जियों के प्रबंधन के तरीकों के बारे में अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। इसलिए, समिति महसूस करती है कि सरकार को भारत में जहां लागू हो, ऐसी प्रथाओं को

अपनाने की दृष्टि से उन्नत देशों की फसल कटाई के बाद की प्रथाओं में अध्ययन/प्रशिक्षण शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि फसल को नुकसान से बचाने और भंडारण क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध मीडिया उपकरणों का उपयोग करके विशेष मौसम के दौरान फसलों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

3.6 विनाशकारी कोविड -19 महामारी के बावजूद, सरकार द्वारा एनएफएसएम को कुशल तरीके से लागू करने के प्रयास किए गए और वर्ष 2020-21 के दौरान 1208.93 करोड़ का उपयोग सुनिश्चित किया गया। नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए डेलॉयट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी के माध्यम से एनएफएसएम योजना का प्रभाव मूल्यांकन किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन (एनएफएनएसएम) के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के ज्ञापन में संशोधन किये गये हैं।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ की गई थी ताकि टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों के लिए एफपीओ, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपायों के हिस्से के रूप में, फसल के समय अधिकता की स्थिति के दौरान, उत्पादन क्षेत्र से खपत तक अधिशेष उत्पादन की निकासी के लिए परिवहन और भंडारण सब्सिडी 50% पर प्रदान की जाती है। दिनांक 10.06.2020 को मंत्री, एफपीआई द्वारा एसएफसी की सिफारिश के आधार पर, कोविड महामारी के बीच आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण माननीय वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में इसे दिनांक 11.06.2020 से टॉप (टीओपी) [टोटल 41 अधिसूचित फल और सब्जियां] तक विस्तारित कर दिया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

सिफारिश सं. 10

3.7 उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की जांच से पता चला है कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के आधार पर, अखिल भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति की दर अप्रैल, 2019 में 1.1% से बढ़कर अक्टूबर, 2019 में 7.89% हो गई जो दिसंबर, 2019 में 14.19% की सीमा तक पहुंच गई, जबकि समनुरूपी आंकड़े वर्ष 2018 के दौरान 2.8% से घटकर (-) 0.86% हो गए। इस बुरे परिदृश्य के कारणों की व्याख्या करते हुए, विभाग ने कहा कि सीएफपीआई में दस उप-समूह अर्थात् अनाज और उत्पाद, मांस और मछली, अंडा, दूध और उत्पाद, तेल और वसा, फल, सब्जियां, दालें और उत्पाद, चीनी और कन्फेक्शनरी और मसाले शामिल हैं और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि 'सब्जियों' उप-समूह के कारण हुई, जो अगस्त, 2019 तक मध्यम मुद्रास्फीति दर दर्ज कर रहा था, लेकिन सितंबर, 2019 से बढ़ना शुरू हुआ, सितंबर, 2019 में 15.47% और अक्टूबर, 2019 में 26.1% तक पहुंच गया। इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से तीन वस्तुएं, प्याज, लहसुन और टमाटर जिम्मेदार थे, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर और अक्टूबर, 2019 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विभाग के उत्तर से यह देखते हुए कि खाद्य मुद्रास्फीति न केवल आम आदमी के लिए, बल्कि नीति निर्माताओं के लिए भी चिंता का विषय है, समिति चाहती है कि सरकार को समय-समय पर खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति की वृद्धि का कारण बनने वाली आपूर्ति-पक्ष बाधाओं से निपटने के लिए नीतियों और उपायों को अपनाकर देश में खाद्य मुद्रास्फीति की दर को न्यूनतम रखने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सरकार को खाद्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सभी मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में, सरकार को उन्नत, अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों को शामिल कर अनाज, फल, सब्जियों, दालों, तिलहन आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय करने चाहिए। ऐसी फसलों की खेती करने वाले किसानों, विशेष रूप से दलहन और तिलहन उगाने वाले, जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, के कौशल और जानकारी को बढ़ाने के लिए भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि से रियायती शर्तों पर ऋण के प्रावधान के माध्यम से उचित और अद्यतन कृषि-प्रबंधन तकनीकों के उपयोग और अनुप्रयोग को लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने चाहिए ताकि किसान अपने निवेश से अधिक उपज प्राप्त कर सकें, जिससे अंततः देश में आवश्यक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो सके।

सरकार का उत्तर

3.8 सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों / संबंधित विभागों और अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

2018-19 के केंद्रीय बजट ने एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तब से, सरकार सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि कर रही है, जो उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से 1.5 गुना अधिक है। एमएसपी में वृद्धि से किसानों की उच्च आय होने की उम्मीद है, जिससे उच्च पूंजी निर्माण, बेहतर इनपुट उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे किसानों को उनकी उपज का लाभ मिलेगा।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

अध्याय चार

सिफारिशें/टिप्पणिया, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

-शून्य-

अध्याय पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके सम्बन्ध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं

सिफारिश सं. 8

5.1 समिति ने पाया कि पिछले **5 (**पांच) चीनी मौसमों में अधिशेष उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण घरेलू चीनी की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिससे चीनी मिलों में तरलता संकट उत्पन्न हुआ और किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया जमा हो गया। समिति इस संबंध में यह भी नोट करती है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए, केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश पर हर चीनी मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद, जिसमें एफआरपी तय की गई है, चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से गन्ने की खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य है। इसके अलावा, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, **1966** आपूर्ति के **14** दिनों के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान निर्धारित करता है, जिसमें विफल होने पर **14** दिनों से अधिक की अवधि के लिए देय राशि पर **15%** प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है, और यह कि राज्य सरकारें /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस प्रावधान को लागू करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। समिति चाहती है कि गन्ना किसानों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, **1966** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाकर सरकार द्वारा एफआरपी के माध्यम से उनकी फसलों का लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, चीनी मिलों, जो वर्तमान में समस्या का सामना कर रही हैं, की तरलता में सुधार के लिए उन्हें सरकार की ओर से उदार वित्तीय सहायता प्रदान करके तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह के दोहरे उपायों से देश में चीनी की कीमतों में स्थिरता आएगी, साथ ही गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों के हितों की रक्षा होगी। समिति इस बात की सराहना करती है कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई उपाय किए हैं, जैसे गन्ना पेराई पर चीनी मिलों को सहायता देना, चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करना, एथेनॉल के लाभकारी मूल्य तय करना, गन्ना बकाया चुकाने के लिए चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन प्रदान करना, चीनी का बफर स्टॉक बनाना, चीनी विकास कोष से चीनी मिलों को ऋण देना ताकि मिलों का आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार किया जा सके। तथापि, समिति चाहती है कि सरकार गन्ना किसानों और चीनी मिलों को न केवल ऋण और वित्तीय सहायता से, बल्कि वार्षिक आधार पर चीनी मिलों का भौतिक और वित्तीय मूल्यांकन करके सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना जारी रखे। यदि आवश्यक हो, तो मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) से उदार वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है।

सरकार का उत्तर

5.2 गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के लिए और एफआरपी के माध्यम से उनकी फसलों के लाभकारी प्रतिफल को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने चीनी कारखानों द्वारा चीनी सीजन 2021-22 के लिए देय गन्ने का 'उचित और लाभकारी मूल्य' 10% की मूल वसूली के लिए दर 290 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मूल्य स्थिरीकरण कोष के निर्माण की सिफारिश की जांच करने और अन्य सिफारिशों की जांच करने के लिए डीएफपीडी में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति नीति आयोग के तहत गठित सीएसीपी और टास्क फोर्स की अन्य सिफारिशों की भी जांच कर रही है। इस संबंध में राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ तीन बैठकें हो चुकी हैं। पिछले दो-तीन महीनों से, चीनी की एक्स-मिल कीमतें 33-34/किलोग्राम के आसपास रही हैं, जिससे चीनी मिलों की तरलता में मदद मिल रही है। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में सुधार हुआ है जिससे चीनी मिलों को चीनी के निर्यात के माध्यम से अतिरिक्त चीनी निकालने में मदद मिली है। हालांकि सरकार चीनी क्षेत्र के परिदृश्य पर लगातार नजर रख रही है और गन्ना किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अतिरिक्त चीनी की समस्या को दूर करने और चीनी क्षेत्र की तरलता में सुधार करने के लिए, सरकार तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को आपूर्ति की जा रही इथेनॉल की लाभकारी कीमतों को तय करने के लिए नई डिस्टिलरी की स्थापना के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान करके पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। चीनी मौसम 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में लगभग 3.37 एलएमटी, 9.26 एलएमटी और 20 एलएमटी चीनी को क्रमशः इथेनॉल में बदल दिया गया है। चालू चीनी मौसम 2021-22 में लगभग 35 लाख मीट्रिक टन चीनी के डायवर्ट होने का अनुमान है; और 2025-26 तक लगभग 60 एलएमटी चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित किए जाने की उम्मीद है। इससे अतिरिक्त गन्ना/चीनी की समस्या का समाधान होगा और चीनी क्षेत्र को लाभदायक और व्यवहार्य बनाएगा।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
का.ज्ञा.सं.टी-10/2/2020-पीएमसी अनुभाग दिनांक: 18.10.2021]

नई दिल्ली

01 दिसंबर, 2021
10 अग्रहायण 1943

सुदीप बन्दोपाध्याय
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

<u>परिशिष्ट-एक</u>

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की बुधवार, 01 दिसम्बर, 2021 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक 1500 बजे से 1645 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय – सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री गिरीश भालचंद्र बापट
4. सुश्री देबश्री चौधरी
5. श्री अनिल फिरोजिया
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री मितेष (आनंद) पटेल (बकाभाई)
8. श्रीमती कविता सिंह
9. श्री जी. सेल्वम
10. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
11. श्री राजमोहन उन्नीथन
12. श्री वी. वैथिलिंगम

<u>राज्य सभा</u>

13. श्री सतीश चंद्र दुबे
14. श्रीमती रूपा गांगुली
15. श्री रामजी

<u>सचिवालय</u>

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया जो निम्नवत में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए बुलाई गई थी: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX (iii) उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित 'आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि -कारण और प्रभाव' विषय पर ग्यारहवाँ प्रतिवेदन(17वीं लोकसभा) ; XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX तत्पश्चात्, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया। सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने, सर्वसम्मति से उक्त की गई कार्रवाई प्रतिवेदन को बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के स्वीकार किया और सभापति को मौखिक और परिणामी परिवर्तनों, यदि कोई है, को करने हेतु प्राधिकृत किया।

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

3. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

4. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

5. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

6.

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

XXXXX XXXXX विषय प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है

परिशिष्ट-II

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा सं**. 4)**

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण ।

(सत्रहवीं लोक सभा)

(एक) सिफारिशों की कुल संख्या 21

(दो**)** सिफारिशेंटिप्पणियाँ/**,** जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है **:**

पैरा सं. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21

(अध्याय**-**दो**,** कुल-16)

प्रतिशत – 76.19%

(तीन**)** सिफारिशेंटिप्पणियाँ/**,** जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

पैरा सं. 2, 6, 7 और 10

(अध्याय**-**तीन**,** कुल-04)

प्रतिशत – 19.04%

(चार) सिफारिशेंटिप्पणियाँ/, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
पैरा सं. शून्य

(अध्याय-चार, कुल- शून्य)
प्रतिशत – 0

(पांच) सिफारिशेंटिप्पणियाँ/, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
पैरा सं. 8

(अध्याय-पांच, कुल- 1)
प्रतिशत – 4.76%